रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 2006/पौष 2, 1928

No. 603] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 2006/PAUSA 2, 1928

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2006

सा.का.नि. 768(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 5 के साथ पठित, धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1980 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का नाम पासपोर्ट (संशोधन) नियमावली, 2006 होगा ।

 (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची III में :–

 (क) **भारत के लिए भाग-I फार्म ई ए (पी)-I** संशोधित हो गया और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के मामले में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

मूल्य 10/-

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

पासपोर्ट आवेदन फार्म (संख्या 1)

(नए/पुनः जारी/गुम/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को बदलने के लिए)

(कृपया अपेक्षित श्रेणी पर सही निशान लगाएं)

आवेदक अपना हाल ही में खींचा गया 3.5 x 3.5 से.मी. आकार का अहस्ताक्षरित रंगीन फोटो चिपकाएं

हस्ताक्षर ⇒

अथवा अंगूठे का निशान

3979GI/06-1

कृपया फार्म भरने से पूर्व पासपोर्ट सूचना पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें और साफ अक्षरों में केवल नीले/काले बाल पाइंट पेन से फार्म भरें :

(चेतावनी : कृपया सही सूचना भरें/गलत सूचना देने पर पासपोर्ट अधिनियम-1967 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अनुसार दण्ड का प्रावधान है)/फार्म जमा कराते समय कृपया अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें,

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

फाइल संख्या.....पुलिस जांच अपेक्षित (हां/नहीं) ईसीआर/ईसीएनआर

.....

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर

शुल्क राशि, रूपए में	नकद/डी.डी	बैंक कोड	डी.डी संख्या	डी.डी. जारी करने की तारीख

1.आवेदक का नाम, जैसा पासपोर्ट में लिखा जाए (आद्यक्षर की अनुमति नहीं है)

उपनाम दिया गया नाम (दस्तावेजी प्रमाण सहित)														

2. यदि नाम/उपनाम में कोई परिवर्तन किया हो (विवाह के पश्चात अथवा अन्य कारण से) दस्तावेजी प्रमाण सहित,पिछला पूरा नाम/ तो कृपया उपनाम बताएं

3.लिंग : पुरुष ☐ स्त्री ☐ अन्य ☐

4.जन्म तिथि: दिन ☐☐ महीना ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

(दस्तावेजी प्रमाण सहित)

शब्दों में

IndiaCode

5. जन्म स्थान : गांव / शहर, जिला, राज्य, देश (दस्तावेजी प्रमाण सहित)

6. पिता/विधिमान्य अभिभावक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई है) (आद्यक्षर की अनुमति नहीं है)

7. माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई है) (आद्यक्षर की अनुमति नहीं है)

8. यदि विवाहित हैं, तो पत्नी/पति का नाम (उपनाम सहित, यदि कोई है) (आद्यक्षर की अनुमति नहीं है)

8. (i) यदि तलाकशुदा/विधवा/विधुर हैं तो कृपया दस्तावेजी प्रमाण सहित श्रेणी बताएं

9. वर्तमान आवास का पता(जहां इस समय रह रहे हैं) कब से रह रहे हैं :

(छात्रों के मामले में, कृपया पासपोर्ट सूचना पुस्तिका का खण्ड III देखें)

पि न

दूरभाष नं0 मोबाइल नं0

9. (क) यदि आप वर्तमान पते के आवास पर एक वर्ष से कम समय से रहे रहे हैं, तो कृपया पिछले एक वर्ष के दौरान अपने आवास के अन्य पते लिखें

.....से.....तकसे.....तक

.....

.....

.....

IndiaCode

10. पिन कोड सहित स्थायी पता (यदि स्थायी पता वर्तमान पता भी है तो केवल "वही" लिखें)

																पि	न							

11. नवीनतम/मौजूदा साधारण/राजनयिक/सरकारी पासपोर्टों का ब्यौरा

(i) पासपोर्ट कार्यालय फाइल नम्बर..... पासपोर्ट/पासपोर्टों की संख्या.....

(ii) जारी किए जाने की तारीख और स्थान.....समाप्ति की तारीख.....

(iii) यदि पासपोर्ट के लिए आवेदन किया हो परन्तु जारी नहीं किया गया हो, तो फाइल संख्या और तारीख दें.....

(iv) क्या आपका पासपोर्ट पहले कभी गुम/क्षतिग्रस्त हुआ है (यदि हां तो एफ.आई.आर. संलग्न करें और ब्यौरा दें).....

11.(क) यदि आप आपात प्रमाण पत्र पर भारत लौटे थे अथवा आपको कभी लौटाया अथवा प्रत्यावर्तित किया गया हो तो कृपया ब्यौरा दें :-

आपात प्रमाण-पत्र संख्या, जारी करने की तारीख और स्थान तथा जब्ती ज्ञापन मूल रूप में संलग्न करें

.....

जिस देश से लौटाया/प्रत्यावर्तित किया गया हो उस स्थान और देश का नाम और उसके कारण

.....

12. अन्य ब्यौरे :-

(क) शैक्षिक योग्यता.....

(ख)स्पष्ट पहचान चिन्ह, यदि कोई हो.....

(ग) ऊँचाई.....से.मी.

IndiaCode

13. क्या आप केन्द्र सरकार /राज्य सरकार /पी.एस.यू/ सांविधिक निकाय में कार्य करते हैं हां/नहीं

यदि हाँ, तो पहचान प्रमाणपत्र (पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के अनुबंध " ख" के अनुसार) संलग्न करें ।

14. क्या आप **जन्म से/वंशानुगत/पंजीकरण/नागरिकीकरण** रूप से भारत के नागरिक हैं

यदि आपके पास कभी कोई अन्य नागरिकता थी, तो कृपया पिछली नागरिकता बताएं.....

15. " उत्प्रवासन जांच अपेक्षित नहीं" की स्थिति ?..... हां/नहीं

(कृपया यह नोट करें कि 10वीं तथा उससे अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त सभी आवेदक "उत्प्रवासन जांच अपेक्षित नहीं" के लिए पात्र हैं)

यदि हां, तो पात्रता श्रेणी बताएं (पासपोर्ट सूचना पुस्तिका का खण्ड III देखें)और संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेज की प्रति संलग्न करें.....

16. नाबालिगों (18 वर्ष से कम आयु के आवेदक)के मामले में, यदि माता-पिता दोनों में से **कोई** वैध भारतीय पासपोर्ट धारक हैं अथवा उसके लिए आवेदन किया है तो निम्नलिखित ब्यौरा दें । कृपया संलग्न अनुबंध - ज देखें और भरें :

	पासपोर्ट/फाइल संख्या	जारी करने/आवेदन देने की तिथि और स्थान
माता		
पिता		

17.(क) क्या यह आवेदन करने की तारीख के ठीक पांच वर्ष पहले की अवधि में किसी आपराधिक जुर्म के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा आपको किसी समय दोषी ठहराया गया है और दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा दी गई है ?.....
यदि हां तो न्यायालय का नाम, मामला संख्या और कानून का संगत खण्ड दें :
(निर्णय की प्रति संलग्न करें).....

(ख) क्या भारत के किसी न्यायालय में आपके विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है ?
यदि हां, तो न्यायालय का नाम, मामला संख्या और कानून का संगत खण्ड दें :
.....

(ग) यदि (ख)का उत्तर 'हां' है, तो कृपया पासपोर्ट की मंजूरी के लिए सक्षम न्यायालय से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करें
.....

IndiaCode

(घ) क्या आपको पासपोर्ट देने से कभी इन्कार/मना किया गया है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें :

.....

(ड़) क्या आपका पासपोर्ट कभी जब्त किया गया है/वापिस ले लिया गया है ? यदि हां तो ब्यौरा दें :

(च) क्या आपने कभी किसी अन्य देश में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है/आपको राजनीतिक शरण दी गई है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें :.....

18. मृत्यु अथवा दुर्घटना होने की स्थिति में सूचित किए जाने वाले व्यक्ति का ब्यौरा :

नाम.....

पता.....

मोबाइल/दूरभाष नम्बर/ई मेल आई डी.....

19. स्वतः घोषणा :

मुझे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा है और मैंने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अथवा यात्रा दस्तावेज प्राप्त नहीं किया है । मैंने भारत की नागरिकता न तो खोई, न इसे अभ्यर्पित किया अथवा न ही मुझे कभी इससे वंचित किया गया है । इस फार्म और संलग्नक में मैंने जो जानकारी दी है वह सही है, और उसकी सत्यता के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ । मुझे इस बात की जानकारी है कि पासपोर्ट अथवा कोई अन्य यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदन में झूठी जानकारी देना अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अन्तर्गत अपराध है ।

मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अन्य पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज नहीं है ।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(पुरुष के बाएं और स्त्री के दाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

तारीख.....
स्थान.....

20. संलग्नक

1. जन्मतिथि का प्रमाण..... 2. आवास का प्रमाण.....
3. शैक्षिक योग्यताएं..... 4.
5. 6.

IndiaCode

केवल सरकारी प्रयोग के लिए

जांचकर्ता का नाम **हस्ताक्षर/तारीख**

मंजूरकर्ता का नाम **हस्ताक्षर/तारीख**

स्कैनकर्ता का नाम **हस्ताक्षर/तारीख**

प्रेषक का नाम **हस्ताक्षर/तारीख**

आवेदक अपना हाल ही में खींचा गया 3.5 X 3.5 से.मी. के आकार का रंगीन फोटो हस्ताक्षर करके चिपकाएं

वैयक्तिक विवरण फार्म

(दो प्रतियों में)

1. पूरा नाम (आद्यक्षर का प्रयोग न करें).....

.....

2. लिंग: पुरुष/स्त्री/अन्य.....

3. (क) क्या आवेदक ने कभी अपना नाम परिवर्तित किया है ?

(ख) यदि हां, तो पिछला नाम :

4. जन्म-तिथि 5. जन्म स्थान

6. व्यवसाय :

7. (क) पिता.....

(उपनाम) (नाम)

.....

(ख) माता (उपनाम) (नाम)

(ग) पति/पत्नी.....

(उपनाम) (नाम)

8. (क) स्थायी पता और टेलीफोन नम्बर, पुलिस स्टेशन सहित.....

8. (ख) वर्तमान आवास का पता और टेलीफोन नम्बर, पुलिस स्टेशन और कब से रह रहे हैं ?

.....

IndiaCode

9. यदि आप कालम 8(ख) में दिए गए पते पर लगातार पिछले एक वर्ष से नहीं रह रहे हैं तो कृपया उन स्थानों के पते और अवधि बताएं जहां इस दौरान रहे हैं (कृपया वैयक्तिक विवरण के फार्म का एक अतिरिक्त सैट दें जिसमें प्रत्येक स्थान का पुलिस स्टेशन सहित पता हो)

.....सेतक	से तक
.....	
.....	
.....	

10. **सन्दर्भ** : आवेदक के क्षेत्र से दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पते जो आवेदक को प्रमाणित कर सकें :

(1) नाम, पता और दूरभाष	(2) नाम, पता और दूरभाष
.....	
.....	
.....	

11. भारत की नागरिकता : जन्म से ☐ वंशानुगत ☐

पंजीकरण द्वारा नागरिकीकरण द्वारा

12. पिछला पासपोर्ट/ यात्रा दस्तावेज, यदि कोई हो, का ब्यौरा दें

(i)पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज संख्या..... (ii) जारी किए जाने की तारीख और स्थान.....

केवल पुलिस के प्रयोग के लिए
पासपोर्ट संस्तुत : **हां / नहीं**

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(पुरुष के बाएं और स्त्री के दाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

तारीख.....

स्थान.....

IndiaCode

पासपोर्ट सूचना पुस्तिका

(आवेदक इस पुस्तिका को भविष्य में सुलभ सन्दर्भ के लिए रखें)

चेतावनी

पासपोर्ट को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत जारी किया जाता है । जानबूझकर झूठी जानकारी देना अथवा जानकारी छिपाना अपराध है जिसके लिए उक्त अधिनियम की संगत धाराओं के अंतर्गत दण्ड और अन्य कार्रवाई का प्रावधान है । पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है । सभी पासपोर्ट धारकों को इस बात का यथोचित ध्यान रखना आवश्यक है कि पासपोर्ट न तो क्षतिग्रस्त हो और न ही कटे -फटे और न ही खोए । पासपोर्ट को किसी देश में डाक द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए।

पासपोर्ट खो जाने की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन और निकटतम पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को दी जानी चाहिए । पासपोर्ट धारक, सम्बन्धित पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को पासपोर्ट के खो जाने की जानकारी न देने के कारण पासपोर्ट का दुरुपयोग होने के लिए जिम्मेदार होगा । पासपोर्ट एक सरकारी संपत्ति है और पासपोर्ट जारी करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा लिखित में माँगे जाने पर इसे सौंप दिया जाना चाहिए ।

I. नई पासपोर्ट पुस्तिका जारी करना

खण्ड I -सामान्य जानकारी

1. आवेदन कैसे करें

किसी पासपोर्ट के लिए आवेदन, व्यक्तिगत तौर पर अथवा प्राधिकार पत्रधारी किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है (नमूना नीचे दिया गया है) । सभी मूल दस्तावेज दिखाए जाने चाहिए और स्वयं साक्ष्यांकित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिएं ।

सेवा में

पासपोर्ट अधिकारी,

पासपोर्ट कार्यालय

महोदय/महोदया,

मैं एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पत्नी/पुत्री निवासी, जिसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित किए गए हैं, को मेरी ओर से आवेदन प्रस्तुत करने और मेरी ओर से मेरा पुराना पासपोर्ट लेने और अन्य मूल दस्तावेज लेने के लिए प्राधिकृत करता/करती हैं ।

भवदीय / भवदीया

(आवेदक के नाम सहित हस्ताक्षर)

प्राधिकृत प्रतिनिधि के
साक्ष्यांकित हस्ताक्षर
आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: प्रतिनिधि के लिए कुछ पहचान दस्तावेज होने आवश्यक हैं जिस पर उसका फोटो लगा हो । प्राधिकार पत्र के साथ पहचान दस्तावेज की प्रति संलग्न की जाए ।

2. **शुल्क और उसके भुगतान का तरीका** : आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सम्पूर्ण शुल्क सम्बन्धित पासपोर्ट अधिकारी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अथवा नकद भुगतान करना होगा। डिमान्ड ड्राफ्ट के मामले में ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का पूरा नाम और आवेदन पत्र संख्या लिखें। संगत खाने में शुल्क के भुगतान के ब्यौरे का उल्लेख किया जाए । यदि शुल्क का भुगतान डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो इसे जारी करने वाले बैंक का बैंक कोड, डिमान्ड ड्राफ्ट सं. और डिमान्ड ड्राफ्ट जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

1	10 वर्ष की वैधता वाला नया पासपोर्ट (36 पृष्ठ) (15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वाले नाबालिगों सहित, जो 10 वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं)	1,000/- रू.
2	10 वर्ष की वैधता वाला नया पासपोर्ट (60 पृष्ठ)	1,500/- रू.
3	नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) का 5 वर्ष की वैधता वाला अथवा नाबालिग के 18 वर्ष की आयु का होने तक, जो भी पहले हो, का नया पासपोर्ट	600/- रू.
4	पासपोर्ट के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा चोरी हो जाने की स्थिति में पासपोर्ट की दूसरी प्रति (36 पृष्ठ)	2,500/- रू.
5	पासपोर्ट के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा चोरी हो जाने की स्थिति में पासपोर्ट की दूसरी प्रति (60 पृष्ठ)	3,000/- रू.

पासपोर्ट के पुनः जारी किए जाने की स्थिति में उद्ग्रहणीय शुल्क वही होगा जो आवेदक की आयु पर निर्भर करता है ।

3. **पासपोर्टों की सुपुर्दगी** :

पासपोर्ट, आवेदक को ही सुपुर्द किया जायेगा अथवा आवेदन पत्र में दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जायेगा ।

खण्ड II - आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश एवं दिशा-निर्देश

पासपोर्ट आवेदन पत्र मशीन द्वारा पढा जाएगा । इसे कम्प्यूटर पर स्कैन किया जायेगा । अतः निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए ।

• **साफ अक्षरों का ही प्रयोग करें । आवेदन पत्र में दिए गए वितरण को पासपोर्ट में मुद्रित किया जायेगा । अतः कृपया आवेदन पत्र को भरने में सावधानी बरतें और किसी प्रकार की गलती से बचें**	• **बॉक्स की सीमाओं को छुए बिना बॉक्स के भीतर स्पष्ट रूप से लिखें ।**
• **केवल काले/नीले बाल पैन का प्रयोग**	• **सूचना को दिए गए बॉक्सों की संख्या**

IndiaCode

करें ।	में फिट करने के लिए समायोजित करें
• आवेदन पत्र को पेंसिल अथवा स्याही वाले पैन से न भरें • बॉक्सों को भरते समय प्रत्येक शब्द के पूरा हो जाने के पश्चात् कृपया एक बाक्स को खाली छोड़ दें ।	• बाक्स के बाहर कुछ नहीं लिखें । काट छाँट से बचें • अधूरा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
महत्वपूर्ण टिप्पणी : पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा करते समय सभी मूल दस्तावेज दिखाने होंगे । मूल पासपोर्ट आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों की स्व-साक्ष्यांकित प्रतियों को संलग्न किया जाना आवश्यक है । अशिक्षित आवेदक, अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर के लिए दिए गए बाक्स में ही अंगूठे का निशान लगाएं । आवेदक के गत एक वर्ष के दौरान एक से अधिक पते पर रहने के मामले में रहने के प्रत्येक स्थान के लिए पासपोर्ट फार्म की दो अतिरिक्त छाया प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए ।	

खण्ड III - आवेदन फार्म को भरने के लिए कालम-वार दिशा-निर्देश

आवेदन पत्र के आरम्भ में फोटो लगाने, हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निशान लगाने तथा शुल्क के भुगतान का ब्यौरा देने के लिए बाक्स दिए गए हैं ।

फोटो : पूरे चेहरे को दर्शाने वाला हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (तीन) आवश्यक है । एक फोटो, फार्म पर चिपकाना होगा और दो फ़ोटो पासपोर्ट फार्म, जिसे दो प्रतियां में भरना है, पर चिपकाने होंगे । **श्याम एवं श्वेत फोटो, रंगीन अथवा काले चश्मे वाले फोटो अथवा यूनिफार्म में, पोलराइड प्रिंट अथवा कम्प्यूटर प्रिंटों को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।** फोटो लगाने के लिए बाक्स में कृपया 3.5 से.मी. x 3.5 से.मी. आकार की आपकी हाल की और एक समान, रंगीन फोटो चिपकाएं । फोटो, बाक्स में पूरी तरह से फिट होना चाहिए और किसी भी स्थिति में फार्म में दिए गए बॉक्स से छोटा न हो । बड़ी पुस्तिका के लिए दो अतिरिक्त फोटो आवश्यक हैं ।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान बॉक्स की सीमाओं को छुए बिना पूरी तरह से बाक्स के भीतर होने चाहिए । अंगूठे का निशान पुरुषों के मामलों में बाएं हाथ का और स्त्रियों के मामले में दाहिने हाथ का होना चाहिए ।

कालम 1- नाम (दस्तावेजी प्रमाण के साथ)

आवेदन पत्र में 75 अक्षर का नाम दिया और भरा जा सकता है । पूरा नाम, जैसा पासपोर्ट में लिखा जाए, यहाँ लिखें। उदाहरण के लिए

नाम : कारूर वैकुंटा सुब्रमनियन रामानाथन पिल्लई, उपनाम के लिए दिए गए बाक्सों में 'पिल्लई' उपनाम लिखें और कोमा का चिन्ह लगाएं तथा बाकी कालमों में 'वैकुंटा सुब्रमनियनरामानाथन'

लिखें । यदि आपका कोई उपनाम नहीं हो तो केवल दिया गया नाम लिखें । आद्यक्षर न लिखे बल्कि पूरा नाम लिखें।

कालम - 2 - यदि आपने अपना नाम परिवर्तित कर लिया हो तो कृपया अपना पूर्व नाम पूरा लिखें । यह उस व्यक्ति के लिए लागू होगा जिसने मामूली रूप से नाम परिवर्तित कर लिया हो अथवा उस महिला के लिए लागू होगा जिसने अपना नाम/उपनाम विवाह के उपरान्त परिवर्तित कर लिया हो । यदि नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो तो कृपया लिखें : लागू नहीं ।

कालम -3- पुरुष/स्त्री के विकल्प के मामले में कृपया दिए गए बाक्स में यथा लागू पुरुष अथवा स्त्री लिखें । अन्य के लिए कृपया इस बॉक्स में 'एक्स' लिखें ।

कालम - 4- जन्म तिथि : जन्म की तारीख नगरपालिका/सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र में दर्शाये गये अनुसार दिन/माह/वर्ष और शब्दों में भरें । जन्म की तारीख का प्रमाण संलग्न किया जाना है । कृपया संलग्न किए जाने वाले सम्बन्धित दस्तावेजों के लिए खण्ड IV देखें ।

कालम 5 - जन्म का स्थान और देश : यदि भारत में जन्म हुआ हो तो कृपया गाँव/कस्बा, जिला, राज्य जैसे स्थान के नाम का उल्लेख करें और यदि भारत से बाहर जन्म हुआ हो तो स्थान तथा देश के नाम का उल्लेख करें । यदि भारत विभाजन के पूर्व ऐसे स्थान पर जन्म हुआ है जो अब पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश में आता है, तो स्थान का नाम भरने के बाद देश का नाम- " अविभाजित भारत " लिखें ।

कालम 6,7 और 8 : संबंधित कॉलमों में पिता, माता तथा पति/पत्नी के नाम की प्रविष्टि करनी है । इन कालमों में उपनाम, यदि कोई हो, दिए गए नामों के बाद का उल्लेख करें । यदि आवेदक अविवाहित है तो कॉलम 8 में पति/पत्नी के नाम के बारे में मांगी गई सूचना के लिए "लागू नहीं" लिखें ।

कॉलम 9 तथा 10 : कृपया दिए गए पते पर निवास करने की तिथि, टेलीफोन नंबर तथा क्षेत्र के कोड नं. के साथ-साथ संगत ब्योरों का उल्लेख करें जो पासपोर्ट कार्यालय द्वारा अतिरिक्त सूचना अथवा दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किए जाने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । इस प्रयोजनार्थ आवेदक को एस.एम.एस संदेश भजने के लिए उसका मोबाइल फोन नंबर उपयोगी होगा। यदि कॉलम 9 में दिए गए आवास पर रहने की अवधि, आवेदन करने की तिथि से एक वर्ष से कम है तो कृपया अन्य पतों को प्रस्तुत करें और उन पर रहने की अवधि भी बताएं । अपने माता-पिता से दूर रहने वाले छात्रों के पास अध्ययन करने के स्थान से आवेदन करने का विकल्प होगा । ऐसे मामलों में शैक्षणिक संस्था के प्रिंसिपल/निदेशक/रजिस्ट्रार/डीन से पते के प्रमाण का वास्तविक प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

कॉलम 11 कृपया पूर्व धारित पासपोर्ट (पासपोर्टों) का ब्यौरा प्रस्तुत करें । पिछला पासपोर्ट संख्या अथवा फाइल संख्या के साथ-साथ संगत बाक्सों में जारी करने की तिथि और जारी करने के स्थान

IndiaCode

का यहां उल्लेख करें । यदि पासपोर्ट के लिए पहले आवेदन किया गया हो किंतु पासपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ हो / जारी न हुआ हो तो पासपोर्ट के लिए जहाँ आवेदन किया गया था उसकी फाइल संख्या, तारीख तथा स्थान जैसे ब्योरों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के अनुसार तथ्यों के छिपाने पर दांडिक प्रावधान लगाए जा सकते हैं ।

कालम 11 (क) : यदि कभी सरकारी खर्च पर आपात प्रमाण पत्र के आधार पर भारत की यात्रा की गई हो अथवा कभी भारत लौटाया गया हो अथवा प्रत्यावर्तित किया गया हो तो इस कॉलम में मूल जब्ती ज्ञापन के साथ-साथ आपात प्रमाण पत्र की संख्या, तारीख और जारी किए जाने का स्थान तथा उस स्थान और देश के नाम का उल्लेख करें जहां से लौटाया गया था अथवा प्रत्यावर्तित किया गया था । यदि आपात प्रमाण पत्र के ब्यौरे तत्काल रूप से उपलब्ध न हों तो कम से कम उस स्थान तथा देश का नाम जहाँ से लौटाया गया अथवा प्रत्यार्वतन किया गया, का ब्यौरा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें । ऐसे सभी आवेदक नोटरी पब्लिक से साक्ष्यांकित शपथ पत्र में अपने प्रत्यार्वतन/पासपोर्ट की गुमशुदगी की परिस्थितियों के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

कालम 12 : संबंधित मदों के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान में शैक्षणिक योग्यताएं, स्पष्ट पहचान चिह्न एवं ऊंचाई (से.मी.में) जैसे ब्योरों को प्रस्तुत करें ।

कालम 13 : दिए गए बाक्स की जगह में 'हाँ' अथवा 'नहीं' के रूप में संगत प्रविष्टि चिह्नित की जानी चाहिए । यदि वह केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों में कार्यरत है तो अनुबंध 'ख' के अनुसार संबंधित कार्यालय से एक पहचान प्रमाण - पत्र संलग्न किया जाना चाहिए ।

कालम 14 : नागरिकता के संबंध में यदि यह जन्म, वंश, पंजीकरण अथवा नागरिकीकरण से प्राप्त है तो दिए गए बाक्स की जगह में यथा स्थिति जन्म/वंश/ पंजीकरण /नागरिकीकरण रिकार्ड किया जाना चाहिए । यदि भारतीय नागरिकता के पूर्व कोई अन्य नागरिकता रही हो तो कृपया दी गई खाली जगह में पिछली नागरिकता लिखें ।

कालम 15 : कृपया यथा लागू 'हाँ' अथवा 'नहीं' लिखें । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि देश छोड़ने से पूर्व ई सी. आर के रूप में श्रेणीबद्ध भारतीय नागरिकों को प्राक्टर जनरल आफ एमिग्रैंट्स से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । ई.सी.आर श्रेणी के आवेदकों को अपने पासपोर्ट पर ई.सी.आर की मोहर लगवानी होगी । यदि पासपोर्ट पुस्तिका में ई.सी.आर मोहर नहीं लगी है तो आवेदक को ई.सी.एन.आर. स्थिति का समझा जाएगा । पासपोर्ट पर ई.सी.एन.आर. की कोई मोहर नहीं लगाई जाएगी । यदि कोई आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आता/आती है और यदि वह इसके लिए दस्ताबैजी प्रमाण प्रस्तुत करता/करती है तो वह ई सी. एन. आर. स्तर का पात्र होगा/होगी ।

वे व्यक्ति जिनके पासपोर्ट पर ई.सी.आर. मुहर नहीं लगेगी :

I (क) राजनयिक/सरकारी पासपोर्टों के सभी धारक ।

IndiaCode

(ख) सभी राजपत्रित सरकारी सेवक ।

(ग) अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सभी आयकर दाता (जिनमें कृषि जनित आयकर आदाता भी शामिल हैं)। पिछले एक वर्ष के आयकर निर्धारण का प्रमाण तथा वास्तविक आयकर भुगतान का प्रमाण अथवा पैन कार्ड की प्रति पर बल दिया जाना है न कि नाममात्र के अग्रिम कर का भुगतान । तथापि अधिकांश मामलों में, जैसा कि आयकर विभाग द्वारा अलग से कर-निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाता है, आयकर विवरणियां जो आय कर प्राधिकारियों द्वारा मोहर लगी हों, स्वीकार की जा सकती हैं ।

(घ) सभी व्यावसायिक डिग्री धारक जैसे डाक्टर जिनके पास एम.बी.बी.एस. की उपाधि अथवा आयुर्वेद में समकक्ष उपाधि अथवा होम्योपैथी में समकक्ष उपाधि, प्रत्यायित पत्रकार, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटैंट्स, कॉस्ट एकाउंटेट्स, लेक्चरार, अध्यापक, वैज्ञानिक, एडवोकेट आदि ।

(ड.) (ख) से (घ) में सूचीबद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ।

(च) मैट्रिक अथवा उससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति।

(छ) ऐसे नाविक जो सी.डी.सी अथवा नाविक कैडेट्स, डेक कैडेट्स प्रमाण पत्र धारी हैं ।

(i) जिन्होंने टी. एस. चाणक्य, मुम्बई में समुद्री विज्ञान पाठ्यक्रम की तीन वर्षीय बी.एस.सी. की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण है । और

(ii) जिन्होंने शिपिंग मास्टर मुम्बई/कोलकाता/चेन्नई द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात सरकार द्वारा अनुमोदित किसी एक प्रशिक्षण संस्थान जैसे टी.एस.चाणक्य, टी.एस. रहमान, टी.एस. जवाहर, एम.टी.आई (एस.सी.आई) तथा एन आई पी एम, चेन्नई से तीन महीने का पूर्व - समुद्री प्रशिक्षण लिया हो ।

(ज) यूनाइटेड किंगडम, यू.एस.ए. तथा आस्ट्रेलिया जैसे स्थायी प्रवासी वीजा धारक व्यक्ति ।

(झ) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा धारक व्यक्ति अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे पोलीटेक्नीक्स से तीन वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष उपाधि धारी व्यक्ति ।

IndiaCode

(ञ) भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त योग्यता धारी नर्स ।

(ट) 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति ।

(ठ) तीन वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे सभी व्यक्ति (तीन वर्ष की अवधि चाहे लगातार रही हो अथवा खंडित रही हो) तथा उनके पति/पत्नी ।

(ड) 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे (18 वर्ष की आयु होने पर(पासपोर्ट) पुनः जारी करते समय यदि लागू हुआ तो ई सी आर मुहर लगाई जाएगी)।

(II) बंगलादेश, पाकिस्तान तथा यूरोप में सभी देशों (सी.आई.एस.राज्यों को छोड़कर) उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर की यात्रा करने के लिए कोई उत्प्रवासन अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ।

इस कालम के अन्तर्गत दी गई खाली जगह में पात्रता श्रेणी का उल्लेख किया जाना चाहिए और आवेदन पत्र के साथ समर्थनकारी दस्तावेज संलग्न किया जाना चाहिए । यह उल्लेखनीय है कि ई.सी.आर. पासपोर्ट धारकों को उपर्युक्त से भिन्न देशों में किसी गैर-रोजगार प्रयोजनों के लिए यात्रा शुरू करने से पूर्व प्राक्टर आफ एमिग्रैन्ट्स कार्यालय से अथवा निर्दिष्ट पासपोर्ट कार्यालयों से ई सी आर पृष्ठांकन को हर बार निलंबित कराना होगा । रोजगार प्रयोजनों के लिए ऐसे पासपोर्ट धारकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे प्राक्टर आफ एमिग्रैंट्स के कार्यालयों से उत्प्रवासन की अनुमति प्राप्त करें , अन्यथा उन्हें निर्गम पत्तन पर ही यात्रा करने से रोक दिया जाएगा । अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे पात्र हैं तो ई.सी.एन.आर. के लिए आवेदन करें ताकि उनकी बाधामुक्त विदेश यात्रा सुनिश्चित की जा सके । यह भी ध्यान दिया जाए कि पासपोर्ट पुस्तिका केवल ई.सी.आर श्रेणी की मुहर लगी होनी चाहिए और यदि पासपोर्ट पुस्तिका पर ई.सी.आर. की मुहर नहीं होगी तो उन्हें ई.सी.एन आर स्तर का आवेदक समझा जाएगा ।

कालम 16 : इस कालम में, नाबालिग बच्चे, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, के लिए पहली बार आवेदन करते समय **माता-पिता दोनों अथवा माता-पिता** में से किसी एक द्वारा धारित वैध पासपोर्ट का विवरण संबंधित कालम में भरा जाना चाहिए । प्रत्येक मामले में, अनुबंध 'ज' में दी गई घोषणा को सादे कागज पर भरा जाना आवश्यक है । ऐसे मामलों में उनके नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के बिना ही जारी कर दिया जाएगा । इसके अलावा यदि माता-पिता के पास वैध पासपोर्ट नहीं है तो ऐसे नाबालिगों के आवेदन अनुबंध 'झ' में उल्लिखित शपथ-पत्र के साथ माता-पिता के तीन ऐसे दस्तावेजों के आधार पर किए जा सकते हैं जिनके ब्यौरे पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड- IV के पैरा ग(ख) में दिए गए हैं । ऐसे सभी मामलों में उनके नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट पुलिस सत्यापन होने के बाद जारी किया जाएगा। अनुबंध 'ज' के अनुसार सादे कागज पर एक घोषणा प्रत्येक मामले में भरनी होगी । यदि 15 से 18 वर्ष की आयु के वे नाबालिग बच्चे जो 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाला पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो माता-पिता द्वारा अनुबंध 'झ' में दिए गए मानक शपथ-पत्र और पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड-IV के पैरा ग(ख) में उल्लिखित 14 दस्तावेजों में से कोई तीन जमा करने तथा किसी प्रौढ़ के लिए यथा लागू 36 पृष्ठ के पासपोर्ट के लिए सामान्य पासपोर्ट शुल्क अर्थात् 1000/- रू के शुल्क का भुगतान करने पर उन्हें वैसा पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा । अन्यथा पासपोर्ट की वैधता पांच वर्षों के लिए अथवा 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, सीमित होगी । एकल माता-पिता और विवाह होने से पहले उत्पन्न

संतान के मामले में अथवा ऐसे माता-पिता के मामले में जो न्यायिक रूप से अलग हो गए हों, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया शपथ - पत्र जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मामले के तथ्यों का उल्लेख होगा, अनुबंध ग के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा । **सामान्य स्थिति में** किसी नाबालिग को पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए (अनुबंध 'ज') माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर/सहमति आवश्यक है। तथापि, यदि आवेदक माता/ पिता के मामले में, माता या पिता में से किसी एक की सहमति **चाहे जिस कारण** से प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले माता/पिता आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और अनुबंध ' छ ' के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आवेदन-पत्र के साथ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख होगा । शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि किसी प्रकार के मुकदमे की स्थिति में वह जिम्मेदार होगा/होगी, न कि पासपोर्ट कार्यालय । ऐसे मामलों में, जहां माता-पिता में से कोई एक आवेदन करता हो, बच्चे की शारीरिक उपस्थिति के लिए अनुरोध किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक माता/पिता वास्तविक अभिरक्षक है ।

कॉलम 17 : आवेदक सही सूचना दें । किसी तथ्य को छिपाने से प्रति अपराध 5000/- रू जुर्माना हो सकता है और समय-समय पर यथासंशोधित पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत यथा लागू अन्य दाण्डिक प्रावधान लागू होंगे ।

कॉलम 18 : इस कालम में मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सूचित किये जाने वाले व्यक्ति के नाम और पते और मोबाइल या टेलीफोन नंबर/ई मेल प्रस्तुत करना होगा ।

कॉलम 19 : यह कॉलम आवेदक द्वारा की गयी स्वतः घोषणा के बारे में है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता के प्रति निष्ठा के बारे में है और किसी अन्य देश से नागरिकता अथवा यात्रा दस्तावेज आदि स्वैच्छिक रूप से प्राप्त करने के बारे में नहीं है । इसके अलावा इस कॉलम में आवेदन पत्र में सही सूचना प्रस्तुत किये जाने के बारे में घोषणा है और यह जानकारी है कि पासपोर्ट प्राप्त करने में किसी गलत सूचना अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत एक अपराध है । आवेदक यह भी घोषणा करता है कि उसके पास कोई अन्य पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं है । दिये गये स्थान में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (पुरुष के लिए बांए हाथ के अंगूठे का निशान और स्त्री के मामले में दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान) आवेदन की तारीख और स्थान सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

कॉलम 20 : उन सभी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों, जो आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न किये गये हैं, की सूची दिये गये खाली स्थान में दी जानी चाहिए और प्रत्येक दस्तावेज आवेदक द्वारा स्व-साक्ष्यांकित होना चाहिए ।

खण्ड IV -आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

यदि आवेदक, आवेदन पत्र स्वयं प्रस्तुत करता/करती है, तो सभी दस्तावेजों की साक्ष्यंकित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है । तथापि मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसे लौटा दिया जाना चाहिए । यदि आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत न किया गया हो तो वह अपने परिवार के किसी सदस्य को प्राधिकार पत्र देकर ऐसा करने के लिए

प्राधिकृत कर सकता/सकती है । यदि आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है तो मूल दस्तावेजों की प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक से साक्ष्यांकित कराना होगा ।

(क) पासपोर्ट

(1) **नये पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां संलग्न करें :**

(क) पते का प्रमाण (निम्नलिखित में से एक संलग्न करें) :

आवेदक का राशन कार्ड, प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से लेटर हेड पर प्रमाण-पत्र, पानी/टेलीफोन/बिजली का बिल/चालू बैंक खाते की स्टेटमेंट/आयकर निर्धारण आदेश/चुनाव आयोग का पहचान-पत्र / पति/पत्नी के पासपोर्ट की प्रति, नाबालिग के मामले में माता-पिता के पासपोर्ट की प्रति । **(टिप्पणी : यदि कोई आवेदक पते के प्रमाण के रूप में केवल राशन कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसे उपर्युक्त श्रेणियों में से पते का एक अतिरिक्त प्रमाण इसके साथ संलग्न करना होगा)** ।

(ख) **जन्म तिथि का प्रमाण** (निम्नलिखित में से एक संलग्न करें)

किसी नगर निगम प्राधिकरण, अथवा जन्म और मृत्यु पंजीकरण के जिला कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र ; आवेदक द्वारा अध्ययन के अंतिम स्कूल अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से जन्म तिथि प्रमाण पत्र अथवा निरक्षर अथवा अर्ध साक्षर आवेदक द्वारा अनुबंध -क में नमूने के अनुसार किसी मजिस्ट्रेट / नोटरी के समक्ष लिया गया शपथपत्र जिसमें जन्म तिथि/स्थान का उल्लेख किया गया हो ।

टिप्पणी: दिनांक 26.01.89 को अथवा उसके बाद पैदा हुए आवेदकों के मामले में केवल नगर निगम प्राधिकरण अथवा जन्म-मृत्यु पंजीकरण के कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र स्वीकार्य है ।

(ग) नागरिकता के कागजात, यदि आवेदक पंजीकरण अथवा नागरिकीकरण के द्वारा भारत का नागरिक है।

(घ) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/ सांविधिक निकाय के कर्मचारियों को अनुबंध-झ के अनुसार मानक शपथ पत्र के साथ मूल रूप में " पहचान प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना चाहिए (अनुबंध-ख)।

(ङ) यदि आवेदक " ई सी एन आर" के लिए पात्र है तो समर्थनकारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करे । (आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेशों तथा दिशा-निर्देशों का कालम 15 देखें)

(च) यदि आवेदक ने सरकारी लागत पर देश प्रत्यावर्तन किया है तो उस व्यय को दर्शाने के लिए दस्तावेज संलग्न करें कि खर्च की गई राशि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय को पूर्ण रूप से वापस की गई है।

(छ) यदि आवेदक को कभी भारत लौटा दिया गया हो तो आपातकालीन प्रमाण पत्र / पासपोर्ट के ब्यौरे दें ।

2. 10 वर्ष के पश्चात पासपोर्ट पुनः जारी किए जाने के लिए आवेदन करना हो तो निम्नलिखित संलग्न करें :

(क) मूल रूप से पुराने पासपोर्ट के साथ इसके पहले चार तथा अंतिम चार पृष्ठों की स्वयं साक्ष्यांकित की गई फोटो प्रति, जिसमें ई सी आर/ ई सी एन आर के पृष्ठ भी शामिल हैं ।

(ख) (1)(घ) में उल्लिखित दस्तावेज, यदि लागू हों ।

(ग)(1) (ङ) में उल्लिखित दस्तावेज, यदि पुराने पासपोर्ट पर ई सी एन आर मुहर नहीं हो अथवा यह उस समय जारी किया गया हो जब आवेदक नाबालिग था।

(घ) यदि पते में कोई परिवर्तन हो तो 1(क) में उल्लिखित दस्तावेज ।

(ङ) यदि पुराने पासपोर्ट में पति/पत्नी का नाम नहीं है तो अनुबंध -घ में नमूने के अनुसार विवाह के पंजीयक द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की प्रति अथवा शपथपत्र।

3. नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित संलग्न करें :

(क) यथास्थिति माता-पिता/ एकल माता-पिता / आवेदक माता-पिता/ कानूनी अभिभावक से एक घोषणा जिसमें यथास्थिति अनुबंध -'ज' (सभी नाबालिग आवेदकों के लिए), अनुबंध 'ग'(एकल माता/पिता जो अलग-अलग हैं किंतु औपचारिक रूप से तलाकशुदा नहीं हैं/विवाह होने से पहले जन्मे बच्चे के एकल माता/पिता), अनुबंध 'छ' (जब एकल माता/पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा रहा हो), अनुबंध 'झ' (जब 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच किसी नाबालिग के लिए दस वर्षीय पासपोर्ट की पूर्ण वैधता के लिए आवेदन किया जाता है अथवा जब माता/पिता में से कोई एक, जिसके पास अपने नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय वैध भारतीय पासपोर्ट न हो) के अनुसार नाबालिग बच्चे के बारे में आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे की पुष्टि की गई हो । अपने बच्चे के लिए पाससपोर्ट हेतु आवेदन करने वाले एकल माता/पिता को यथास्थिति अनुबंध 'ग' और अनुबंध 'छ' भरना चाहिए ।

(ख) **माता-पिता दोनों के पासपोर्ट , यदि कोई हो, की साक्ष्यांकित फोटो प्रति यदि लागू हो ।**

(ग) **ब्यौरों के सत्यापन के लिए माता-पिता के मूल पासपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।**

(घ) यदि माता-पिता मे से कोई एक विदेश में रहता हो तो विदेश मे रह रहे माता/पिता को भारतीय मिशन द्वारा साक्ष्यांकित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा भारत मे रह रहे माता/पिता को भी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

टिप्पणी: सामान्य रूप से किसी नाबालिग (18 वर्ष की आयु से कम) के लिए पासपोर्ट जारी करने हेतु माता-पिता दोनों की सहमति आवश्यक है । तथापि, यदि किसी कारणवश यह पूर्णरूप से संभव नहीं है तो पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले माता/पिता नाबालिग की ओर से एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें (अनुबंध - छ) और उसी पासपोर्ट पर आवेदन पत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी । यदि माता/पिता भारत से बाहर रह रहे हों तो लिए गए शपथपत्र, जिसे विदेश स्थित भारतीय मिशन

द्वारा साक्ष्याांकेत किया गया हो, मे माता/पिता से ली गई ऐसी सहमति स्वीकार्य है । ऐसे मामलों में जिनमें नाबालिग बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हों, माता-पिता दोनों या माता-पिता में से किसी एक द्वारा धारित वैध पासपोर्ट के ब्योरे प्रस्तुत किए जाने चाहिए । इसके अलावा उन मामलों में जिनमें मता-पिता के पास वैध पासपोर्ट न हो, ऐसे नाबालिगों के लिए आवेदन अनुबंध 'झ' के अनुसार मानक शपथ-पत्र सहित माता-पिता के ऐसे तीन दस्तावेजों के आधार पर किए जा सकते हैं जिनके ब्योरे पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड IV के पैरा ग(ख) में दिए गए हैं । ऐसे सभी मामलों में उनके नाबालिग बच्चों को पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा । सभी आयु के बच्चों को अलग-अलग पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जाना चाहिए ।

तथापि, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 5 वर्ष अथवा 18 वर्ष की आयु तक पासपोर्ट की वैधता दी जाएगी । यदि नाबालिग बच्चा 15-18 वर्ष की आयु के बीच है, और 10 वर्ष के लिए पासपोर्ट की पूर्ण वैधता प्राप्त करना चाहता है तो अनुबंध 'झ' में यथा निर्दिष्ट मानक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर पुलिस सत्यापन के बाद तथा माता-पिता द्वारा पासपोर्ट सूचना पुस्तिका के खंड-IV के पैरा ग (ख) में उल्लखित 14 कागजातों में से किन्ही तीन कागजात और किसी प्रौढ़ के लिए यथा लागू 36 पृष्ठीय पासपोर्ट के लिए सामान्य पासपोर्ट शुल्क अर्थात 1000/- रू. के समतुल्य शुल्क की अदायगी पर उसे जारी किया जा सकता है । एकल माता/पिता या ऐसे माता/पिता जो अलग-अलग रह रहे हों किंतु औपचारिक रूप से उनका तलाक नहीं हुआ हो के मामले के 'अनुबंध-'ग' में उल्लिखित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

दत्तक बच्चों के लिए

दत्तक बच्चों के मामले में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाने हैं :

(i) भारतीय कानून के अनुसार वैध दत्तक विलेख।
(ii) इसाई, मुसलमान तथा पारसी के मामले में अभिभावकता प्रदान करने वाला और बच्चे को देश के बाहर ले जाने की अनुमति देने वाला न्यायालय आदेश।
(iii) संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पादित गारंटी की प्रति

(ख) नाम में परिवर्तन

II विवाह, पुनर्विवाह अथवा तलाक के बाद

(क) विवाह के कारण मौजूदा पासपोर्ट में नाम/ उपनाम बदलने वाली किसी महिला को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगा :

(i) पति के पासपोर्ट, यदि कोई हो, की फोटो प्रति, और

(ii) विवाह पंजीयक द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्र की एक साक्ष्यांकत प्रति अथवा पति और पत्नी की ओर से एक शपथ-पत्र जिसमें दोनों का फोटो एक साथ साक्ष्यांकित हो (अनुबंध -घ में दिए गए नमूने के अनुसार

IndiaCode

(ख) मौजूदा पासपोर्ट में पति-पत्नी का नाम बदलने अथवा नाम हटाने के लिए आवेदन करने वाले तलाकशुदाओं को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगाः

(i) तलाक डिक्री की प्रमाणित प्रति

(ii) एक पक्षीय विलेख/ लिया गया शपथ-पत्र (अनुबंध - ङ)

(ग) नाम/पति/पत्नी का नाम बदलने के लिए आवेदन करने वाले पुनर्विवाहित आवेदकों को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगा :

(i) प्रथम पति/पत्नी के संबंध में यथा स्थिति तलाक विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र और

(ii) दूसरे विवाह से संबंधित उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कागजात ।

II अन्य परिस्थितियों में, नाम बदलने के लिए आवेदक (पुरुष तथा स्त्री दोनों) को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करना होगाः

(i) एक पक्षीय विलेख/ लिया गया शपथ-पत्र (अनुबंध 'ङ')

(ii) दो प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों की कतरन (एक दैनिक समाचार पत्र को आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते के क्षेत्र अथवा निकटतम क्षेत्र का होना चाहिए ।

(ग) तत्काल स्कीम के अन्तर्गत बिना-बारी के पासपोर्ट जारी किया जाना ।

(क) यदि कोई आवेदक तत्काल स्कीम मे अन्तर्गत पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है तो अनुबंध 'चँ में दिए गए नमूने के अनुसार एक सत्यापन प्रमाण - पत्र और अनुबंध 'झँ के अनुसार मानक शपथ पत्र **तत्काल शुल्क** के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह सत्यापन प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता का उस अधिकारी से लिखित में सत्यापन कराए जिसने उसे जारी किया है । तत्काल स्कीम के अंतर्गत बिना बारी के पासपोर्ट चाहने वाले सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन, दस्तावेज नीचे यथा निर्दिष्ट शुल्क प्रस्तुत करें । **बिना बारी के पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए अतिशीघ्रता के किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । बिना बारी के पासपोर्ट जारी किए जाने के सभी मामलों में बाद में पुलिस सत्यापन किया जाएगा।**

(ख) आवेदक को यह भी विकल्प होगा कि नीचे दिए गए अनुसार चौदह दस्तावेजों में से तीन दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल स्कीम के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करें जिमसें से तीन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज फोटो पहचान दस्तावेज हो और कम से कम एक दस्तावेज उनमें से हो जिनका उल्लेख नीचे (क) से (झ) में किया गया है और अनुबंध-'झ' के अनुसार नोटरी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित शपथ - पत्र हो। तत्काल स्कीम के अंतर्गत बिना बारी के पासपोर्ट चाहने वाले सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अपने आवेदन दस्तावेज नीचे यथा निर्दिष्ट शुल्क प्रस्तुत करें ।

पहचान और राष्ट्रिकता का प्रमाण (कृपया निम्नलिखित चौदह दस्तावेजों में से तीन दस्तावेज संलग्न करें जिनमें से तीन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज फोटो पहचान दस्तावेज हो और कम से कम एक दस्तावेज उनमें से हो जिनका उल्लेख नीचे (क) से (झ) में किया गया है और अनुबंध 'झं में दिए गए अनुसार गैर-न्यायिक पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित मानक शपथ-पत्र हो)

(क) मतदान फोटो पहचान पत्र; (ख) राज्य /केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किसी गए सेवा पहचान पत्र; (ग) एस सी/एस टी / ओ बी सी प्रमाण-पत्र ; (घ) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र; (ङ) आयुध लाइसेंस; (च) संपत्ति संबंधी दस्तावेज जैसे - पट्टा, पंजीकृत विलेख आदि, (छ) राशन कार्ड; (ज) पेंशन संबंधी दस्तावेज दस्तावेज जैसे-पूर्व सैनिक की पेंशन बुक / पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिक की विधवा / आश्रित प्रमाण-पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश; (झ) रेलवे पहचान पत्र;(ञ) आयकर -पहचान (पैन) पत्र; (ट) बैंक / किसान/डाक घर पास बुक; (ठ) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए छात्र पहचान पत्र; (ड) ड्राइविंग लाइसेंस और (ढ) आर बी डी अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र ।

(उपर्युक्त सभी दस्तावेज मूलरूप में स्व-साक्ष्यांकित प्रतियों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे)

तत्काल शुल्क, लागू पासपोर्ट शुल्क के अतिरिक्त होगा और नकद या संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होगा । बिना बारी के तत्काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त शुल्क निम्नानुसार होगाः

नया पासपोर्ट

1	आवेदन की तारीख से 1-7 दिन के अंदर	1,500/-रू. + यथा लागू पासपोर्ट शुल्क
2	आवेदन की तारीख से 8-14 दिन के अंदर	1000/-रू.+ यथा लागू पासपोर्ट शुल्क

डुप्लीकेट पासपोर्ट

1.	आवेदन की तारीख से 1-7 दिन के अंदर	2,500/-रू. + यथा लागू पासपोर्ट शुल्क
2.	आवेदन की तारीख से 8-14 दिन के अंदर	1,500/-रू.+ यथा लागू पासपोर्ट शुल्क

10 वर्ष की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद पासपोर्ट पुनः जारी किए जाने से संबंधित मामले

1.	आवेदन की तारीख से 3 कार्य दिवसों के अंदर	1,500/-रू. + यथा लागू पासपोर्ट शुल्क

(घ) ऐसी कंपनियों के स्वामी, भागीदार और निदेशक जो सी आई आई, फिक्की और एसोचेम की सदस्य हैं, को पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए । आवेदकों को अनुबंध 'झ' के अनुसार मानक शपथ - पत्र के साथ अनुबंध (ञ) में दिए गए अनुसार सत्यापन प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) यदि किसी आवेदक के पास सत्यापन रिपोर्ट और अथवा खण्ड IV के पैरा ग(ख)(क) में यथा उल्लिखित तीन (3) दस्तावेज हैं किंतु तत्काल के अंतर्गत यथा अपेक्षित अतिरिक्त शुल्क अदा नहीं करना चाहता है तो ऐसे मामले में आवेदकों को पासपोर्ट सामान्य अवधि में पुलिस सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा ।

(च) गुम/क्षतिग्रस्त पासपोर्टों के मामले:

आवेदक को पासपोर्ट आवेदन पत्र भरकर उसे निम्नलिखित विलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा:

i) मूल रूप में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.)
ii) पुराने पासपोर्ट का पहला और अन्तिम चार पृष्ठ।
iii) यदि पते में कोई परिवर्तन हो तो पते का प्रमाण।

खण्ड- v शपथपत्र/घोषणा का नमूना

अनुबंध - 'क'

अशिक्षित आवेदकों द्वारा खंड IV के पैरा क(ख) में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

(गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा)

मैं, पुत्र/पत्नी/पुत्री
वर्तमान निवासी..... निम्नलिखित अभिकथन करता हूँ : मेरा जन्म..... राज्य के.....जिले में स्थित में हुआ । जन्म स्थान और जन्म तिथि के समर्थन में मेरे पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है । मेरे पास कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है । मैं अशिक्षित व्यक्ति हूँ ।

मैं शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा/ प्रतिज्ञान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर प्रस्तुत किए विवरण सही हैं और मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है अथवा झूठा नहीं दिया है ।

स्थान.....
दिनांक.....
वर्ष.....के.....माह के.....दिन यह सत्यापित कि मेरे उपर्युक्त शपथ-पत्र की अंर्तवस्तु सत्य एवं सही है तथा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मुझे पढ़कर सुनाई गई ।

अभिसाक्षी

साक्ष्यांकित

साक्ष्यांकित प्राधिकारी के हस्ताक्षर और उसकी

कार्यालय मुहर

टिप्पणी : शपथपत्र मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा । नोटरी के मामले में नोटरी - स्टैम्प आवश्यक होगा ।

अनुबंध-'ख'

केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों, राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों, सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के

कर्मचारियों को पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (जो लागू न हो, उसे काट दें)

(मूल स्टेशनरी में डुप्लीकेट रूप में दिया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/श्री (तारीख) से..... (कार्यालय का पता) के/की..... अस्थायी/स्थायी कर्मचारी है और वर्तमान में..... के पद पर कार्यरत हैं । श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी..... जो श्री/श्रीमती..... की आश्रित परिवार के/की सदस्य हैं और उनकी पहचान प्रमाणित है । इस मंत्रालय / विभाग/संगठन को उन्हें पासपोर्ट दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है । अधोहस्ताक्षरी इस पहचान प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है । मैंने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के प्रावधानों को पढ़ लिया है और प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदक के मामले में ये लागू नहीं होते हैं । मैं उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाने की सिफारिश करता हूँ । प्रमाणित किया जाता है कि यह संगठन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/ सांविधिक निकाय है / श्री/श्रीमती (कर्मचारी) की पहचन पत्र सं..... है ।

संदर्भ सं. और तारीख
तथा टेलिफोन नं.

नाम.....
पदनाम.....
पता.....
दूरभाष.....

आवेदक का फोटो
प्रमाणीकरण प्राधिकारी द्वारा
साक्ष्यांकित किया
जाएगा

अनुबंध - 'ग'

नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट के लिए माता-पिता दोनों में से किसी एक द्वारा (जो अलग हो गए हैं किंतु उनका औपचारिक रूप में तलाक न हुआ हो) अथवा विवाह होने से पहले जन्मे बच्चे के एकल माता-पिता द्वारा आवेदन -पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

(गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाए)

मैं (एकल माता/पिता का नाम)..... (बच्चे का नाम)..... जो कि एक नाबालिग बच्चा है, की/का माता/पिता हूँ और उसके पासपोर्ट के लिए मैंने उसकी ओर से आवेदन किया है।

2. मैं..... (नाबालिक का नाम) की माता/पिता से न्यायिक रूप से अलग हूँ

अथवा

मेरे और श्री/सुश्री (नाबालिक बच्चे के / की पिता/ माता का नाम) के बीच कानूनी रूप से अब कोई वैध विवाह नहीं रह गया है।

अथवा

.....(बच्चे का नाम) के/ की पिता/माता गर्भधारण /प्रसव के बाद मुझे छोड़कर चले गए /चली गई हैं।

3.(नाबालिग का नाम) अलग होने /प्रसव के बाद से अनन्य रूप से मेरी देख-रेख और अभिरक्षा में है।

तारीखः

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर तथा पता

(प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष लिया गया शपथ पत्र ।)

अनुबंध - 'घ'

विवाह के पश्चात नाम में परिवर्तन करने के लिए किसी महिला आवेदक द्वारा पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथपत्र का नमूना (उसके पति के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला संयुक्त शपथपत्र)

(इसे गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाए)

हम

1.(पत्नी का विवाह पूर्व नाम).....
2.(पति का नाम).....

IndiaCode

सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार यह घोषणा और प्रतिज्ञान करते हैं कि:

1. हम विवाह अधिनियम/अधिकार/परंपरा.....के अंतर्गत विवाहित हैं और.....(विवाह की तिथि) से विवाहित पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं।

2. हमारा विवाह हो जाने के कारण(पत्नी का विवाह पूर्व नाम) अब से.....नाम (विवाह के बाद नाम) से जानी जाएगी ।

3. हमारा संयुक्त फोटो नीचे लगा हुआ है।

तारीख: अभिसाक्षियों के हस्ताक्षर तथा पता

1.

2.

टिप्पणी: 1. यह शपथपत्र मैजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष लिया जाए ।

2. पति-पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ शपथपत्र कागज के बाई तरफ बिल्कुल नीचे चिपकाया जाएगा और मैजिस्ट्रेट /नोटरी द्वारा उनके हस्ताक्षर तथा रबड़ की मुहर से (आधा फोटोग्राफ पर और आधा शपथपत्र पर) साक्ष्यांकित किया जाएगा ।

3. जो आवेदक पूर्व में जारी किए गए पासपोर्ट को पुनः जारी करने के संबंध में पति/पत्नी के नाम का पृष्ठांकन करना चाहते हैं, उनके द्वारा उपर्युक्त घोषणा-2 को छोड़ देना है।

अनुबंध 'ङ'

नाम में परिवर्तन करने के लिए शपथपत्र/ एक पक्षीय विलेख/लिए गए शपथ-पत्र का नमूना

(गैर- न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इस विलेख के द्वारा मैं, अधोहस्ताक्षरी.....(नया नाम) पहले(पिछला नाम) से जाना जाता था और.....(व्यवसाय अथवा पेशा का उल्लेख करें) के रूप में कार्य कर रहा हूँ तथा.....(पता)का निवासी हूँ, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि:

1. मैं स्वयं तथा अपनी ओर से अपनी पत्नी और बच्चे तथा रेमिटर ईशू पूर्णरूप से अपने पिछले नाम/उपनामके प्रयोग का त्याग/अधित्याग/परित्याग करता हूँ और उसके स्थान पर मैं एतद द्वारा आज की तारीख से..... नाम/उपनाम धारण करता हूँ और मुझे और मेरी पत्नी तथा मेरे बच्चे और रेमिटर इशू को इसके बादके धारित नाम/उप नाम से बुलाया / जाना जाए और पहचाना जाए, न कि मेरे पिछले नाम /उपनाम से ।

IndiaCode

2. मेरे ऐसे निश्चय के साक्ष्य स्वरूप मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इसके बाद सदैव सभी रिकार्डों, विलेखों तथा लिखतों में तथा सभी कार्यवाहियों, संव्यवहारों, लेन-देनों में तथा निजी और सभी अवसरों पर अपने पिछले नाम/उपनाम के स्थान पर..... का अपना नाम/उपनाम का प्रयोग करूँगा/करूँगी और हस्ताक्षर करूँगा/करूँगी ।

3. मैं सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों, और विशेष रूप से अपने संबंधियों, मित्रों को स्पष्ट रूप में प्राधिकृत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे तदनुसार इसके पश्चात उक्त धारित नाम/उपनाम से हर समय मुझे, मेरी पत्नी तथा मेरे बच्चों को और रेमिटर इशू को नामोद्दिष्ट और संबोधित करें ।

4. इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने इसमें और अपने पूर्व और अंगीकृत उपनाम का सत्यापन किया है। वर्ष.....केमाह के.....दिन को अपने हस्ताक्षर करता हूँ और मुहर यदि कोई हो, लगाता हूँ ।

तारीख

निम्नलिखित की उपस्थिति में	उपर्युक्त नाम से हस्ताक्षरित, मुहर तथा परिदत्त
नामः	नामः
पताः	पताः

(इस एक पक्षीय विलेख/ शपथपत्र पर मैजिस्ट्रेट/नोटरी अथवा विदेश स्थित भारतीय मिशन के कौंसली अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित और सक्ष्यांकित किया जाए) ।

टिप्पणीः नाम परिवर्तन के मामले में, आवेदक द्वारा दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों (एक उसके निवास स्थान का स्थानीय समाचार पत्र और दूसरा उसके स्थायी पते का स्थानीय समाचारपत्र) में दिया गए विज्ञापन शामिल किए जाने चाहिए और अपने नए नाम से पासपोर्ट का आवेदन करने के समय मूल समाचारपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध - 'च'

सत्यापन प्रमाण -पत्र का नमूना (केवल तत्काल स्कीम के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए)

(सत्यापन प्राधिकारी की आधिकारिक स्टेशनरी पर)

(अनुबंध-झ) के अनुसार मानक शपथपत्र के साथ दो प्रतियों में दिया जाए)

संदर्भ सं0

आवेदक का फोटो

सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने वाला अधिकारी, आवेदक का फोटो अपने हस्ताक्षर तथा रबड़ की मुहर से इस तरह से साक्ष्यांकित करे कि उसके हस्ताक्षर तथा मुहर आधा फोटो पर तथा आधा प्रमाण -पत्र पर हो ।

सत्यापन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....जिनका व्यक्तिगत ब्यौरा नीचे दिए गया है, सच्चरित्र और प्रतिष्ठित हैं तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के उपबंधों को पढ़ने के पश्चात मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवदेक के मामले में ये उपबंध लागू नहीं होते हैं और मैं उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश करता हूँ। आवेदक अपने पते पर पिछले एक वर्ष से लगातार रह रहा/ रही है।

जन्म तारीख.....
जन्म स्थान.....
शैक्षणिक योग्यता.....
व्यवसाय (सरकारी/निजी सेवा / अन्य).....
स्थायी पता.....
वर्तमान पता.....
स्थान.....
कार्यालय का पता तथा उसका स्थान.....
तारीख.....

कार्यालय की मुहर

पूरा नाम.....
पदनाम.....
पहचान पत्र सं0.....
(पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें)
टेलीफोन (कार्यालय).....(आवास).....
मोबाइल सं0.....

IndiaCode

टिप्पणीः 1 सत्यापन प्रमाण पत्र पर आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाना भी अपेक्षित है और सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी होना अपेक्षित है और उसके हस्ताक्षर तथा रबड की मुहर इस रूप में हो कि हस्ताक्षर तथा मुहर का आधा भाग फोटो पर तथा आधा भाग प्रमाण पत्र पर हो ।

2. यदि आवेदक ने पिछले एक वर्ष के दौरान एक से अधिक स्थान पर निवास किया हो तो सभी पूर्व पतों तथा संगत तिथियों का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

3. यह सत्यापन प्रमाण-पत्र निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिएः

(i) भारत सरकार का कोई अवर सचिव/ उपसचिव/ निदेशक/संयुक्त सचिव/ अपर सचिव/विशेष सचिव/सचिव/मंत्रिमंडल सचिव।

(ii) राज्य सरकार का निदेशक/संयुक्त सचिव/ अपर सचिव/विशेष सचिव/मुख्य सचिव।

(iii) आवेदक के निवास के जिले का कोई सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट / अपर मैजिस्ट्रेट / मैजिस्ट्रेट।

(iv) आवेदक के निवास के जिले का कोई जिला पुलिस अधीक्षक/ डी.आई.जी./आई.जी./डी.जी.पी.।

(v) थल सेना में मेजर और इससे ऊपर, नौ सेना में ले0 कमांडर तथा इससे ऊपर, वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर तथा इससे ऊपर।

(vi) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का महाप्रबंधक।

(vii) किसी अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा के सभी सदस्य जिनका पद भारत सरकार के अवर सचिव के समकक्ष तथा इससे ऊपर है अर्थात जिनका वेतनमान 10,000-15,200 अथवा इससे अधिक है ।

(viii सभी राज्य सरकारों के दिल्ली स्थित रेजिडेंट आयुक्त/अपर रेजिडेंट आयुक्त ।

(ix) आवेदक जिस क्षेत्र में रह रहा है, उस क्षेत्र की अधिकारिता के अंतर्गत संबंधित तहसीलदार अथवा संबंधित एस.एच.ओ.।

(x) फिक्की सी आई आई और एसोचेम की सदस्य कंपनियों के स्वामियों, साझीदारों और निदेशकों के संबंध में संबद्ध शीर्ष व्यापार संगठन के अध्यक्ष -अनुबंध 'ञ' में निर्धारित प्रोफार्मा में ।

4. कोई ऐसा अधिकारी जो गलत सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करता है, के विरूद्ध पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(2) के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है ।

5. **पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(ग)**

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, पासपोर्ट प्राधिकारी निम्नलिखित आधारों में से किसी एक अथवा एक से अधिक आधार पर न कि अन्य आधार पर खंड (ग) की उपधारा 5 के अंतर्गत विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने से मना कर देगा अर्थात

(क) आवेदक भारत का नागरिक न हो ।

(ख) आवेदक, भारत के बाहर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो या होने की संभावना हो जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल हों ।

(ग) आवेदक का भारत से बाहर प्रस्थान करना भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो अथवा होने की संभावना हो ।

(घ) आवेदक का भारत से बाहर उपस्थिति से किसी दूसरे देश के साथ भारत के मैत्री संबंध प्रतिकूल हो सकते हों अथवा होने की संभावना हो ।

(ङ) आवेदन की तिथि के तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारत के किसी न्यायालय द्वारा आवेदक को दोषसिद्ध किया गया हो और उस संबंध में उसे कम से कम दो वर्ष की सजा सुनायी गई हो ।

(च) आवेदक द्वारा तथाकथित किए गए किसी अपराध के संबंध में आपराधिक कार्यवाही भारत के किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हो ।

(छ) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा आवेदक की उपस्थिति के लिए वारंट अथवा समन, अथवा गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया हो, अथवा ऐसे किसी न्यायालय द्वारा आवेदक के लिए भारत से बाहर प्रस्थान न करने का आदेश जारी किया गया हो ।

(ज) आवेदक को प्रत्यावर्तित किया गया हो और उसने ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति न की हो ।

अनुबंध – 'छ'

यदि पासपोर्ट नाबालिग बच्चे के लिए है (माता-पिता में से किसी एक ने सहमति न दी हो) तो आवेदक माता-पिता अथवा अभिभावक की घोषणा, : गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया जाने वाला शपथपत्र का फार्म

मैं / हम.....सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा एवं प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं और

(पासपोर्ट का आवेदन करने वाले माता-पिता / अभिभावक का नाम)

1. मैं/हमजो नाबालिग बच्चा है, (नाबालिग बच्चे का नाम) की/के माता/पिता/माता-पिता /अभिभावक हूँ/ हैं और उसकी ओर से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। उसकी ओर से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है।

2. श्री/श्रीमती जो बच्चे के पिता / माता-पिता/ हैं, के हस्ताक्षर/की सहमति मैंने निम्नलिखित कारणों से नहीं ली है:

3. केवल मैं /हम(नाबालिग बच्चे का नाम) की देखभाल कर रहा हूँ / कर रहें। वह विशिष्ट रूप से मेरी / हमारी शारीरिक अभिरक्षा में है ।

4. मैं / हम यह भी प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं कि नाबालिग बच्चे(नाबालिग बच्चे का नाम) का पासपोर्ट जारी किए जाने के कारण उत्पन्न किसी मुकदमे के मामले में

मैं/ हम मामले का प्रतिवाद करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ/हैं न कि पासपोर्ट जारीकर्त्ता प्राधिकारी।

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले
माता/पिता/माता-पिता/अभिभावकों के
हस्ताक्षर तथा पते

तारीखः

अनुबंध - 'ज'

यदि पासपोर्ट नाबालिग बच्चे के लिए हैः सादे कागज पर **आवेदक माता-पिता अथवा अभिभावक की**

घोषणा

मैं/हम(नाबालिग बच्चे का नाम).....
पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती..... जिसका मैं /हम /एकल माता-पिता/आवेदक माता-पिता/ अभिभावक हूँ/हैं, के संबंध में ऊपर दिए गए ब्यौरों की पुष्टि करता हूँ/करते हैं । वह भारत का /की एक नागरिक है। उसकी जन्मतिथि/जन्म स्थान.....हैं। मैं/हम उसके खर्च की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाने का वचन देता हूँ/देती हूँ/ देते है । मैं / हम सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि उसने भारत की नागरिकता नहीं खोई है/ अभ्यर्पित नहीं की है / से वंचित नहीं है और आवेदन पत्र में उस संबंध में दी गई सूचना सच है। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं मैं / हम वैध भारतीय पासपोर्ट (पासपोर्टों) का धारक हूँ / धारक हैं / धारक नहीं हूँ / धारक नहीं हैं और उल्लिखित बच्चे के नाम को दोनों में से किसी भी माता-पिता के पासपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है ।

..... / अथवा

पिता (हस्ताक्षर) माता(हस्ताक्षर) विधिक अभिभावक(हस्ताक्षर)

IndiaCode

अनुबंध - 'झ'

शपथ-पत्र

(समुचित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पन्न किया जाए और नोटरी पाब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित किया जाए)

(एक मूल तथा एक स्व साक्ष्यांकित प्रति)

मैं.....(नाम) पुत्र श्री.....निवासी.....जन्म तिथि..... पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए आवेदक होने के नाते एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रतिज्ञान और अभिकथन करता हूँ :

1. मेरे माता-पिता तथा मेरे पति/पत्नी का नाम इस प्रकार हैं :
 (i) पिताः
 (ii) माताः
 (iii) पति / पत्नीः
2. मैं उपर्युक्त पते पर लगातारसे रह रहा/रही हूँ।
3. मैं जन्म / वंश/पंजीकरण/नागरिकीकरण से भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है अथवा न ही अभ्यर्पित की है अथवा न ही मेरी भारतीय नागरिकता समाप्त हुई है अथवा न ही मैं उससे वंचित हुआ/हुई हूँ।
4. मैं इस शपथ-पत्र की पिछली तिथि के ठीक बाद के पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय भारत में किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी करार नहीं दिया गया हूँ जिसमें नैतिक अधमता शामिल है और न ही उसके संबंध में मुझे कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास की सजा दी गई है।
5. भारत के किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष तथाकथित रूप से मेरे द्वारा किए गए किसी अपराध से संबंधित कार्यवाही लंबित नहीं है ।
6. तत्समय लागू किसी भी कानून के तहत किसी न्यायालय द्वारा मेरी उपस्थिति हेतु वारंट अथवा समन अथवा कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया है और किसी ऐसे न्यायालय के आदेश द्वारा मुझे भारत से बाहर जाने से निषेध नहीं किया गया है ।
7. मैं भारत सरकार के खर्च पर कभी भी विदेश से भारत में प्रत्यावर्तित नहीं हुआ/हुई हूँ/ भारत सरकार के खर्च पर विदेश से भारत में प्रत्यावर्तित हुआ/हुई हूँ किंतु ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की गई है।
8. मैं विदेश में भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के प्रतिकूल कार्यकलापों में संलिप्त नहीं होऊंगा।
9. मेरा भारत से बाहर जाना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होगा।
10. मेरा भारत से बाहर जाना किसी अन्य देश के साथ भारत के मैत्री संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

स्थानः

तारीखः अभिसाक्षीः

सत्यापन

तारीख.....को.....(स्थान) में सत्यापित किया जाता है कि उल्लिखित शपथ -पत्र की अंर्तवस्तु सत्य और सही है तथा इसमें कोई सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी:

अनुबंध 'ञ'
नमूना प्रमाण-पत्र

(शीर्ष व्यापार संगठनों के अध्यक्ष द्वारा संबंधित चैम्बरों की सदस्यता वाली कंपनियों के मालिक, भागीदार अथवा निदेशकों को {मानक शपथपत्र जैसा कि अनुबंध 'ञ' पर संलग्न है के साथ दो प्रतियों में } दिये जाने के लिए)

(सत्यापन करने वाले प्राधिकारी की आधिकारिक स्टेशनरी)

संदर्भ संख्या

आवेदक का
फोटो

(सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं रबड़ स्टैंप आवेदक के फोटो पर इस तरह लगा कर साक्ष्यांकन किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षर तथा मोहर का आधा भाग फोटो पर हो तथा आधा भाग प्रमाण-पत्र पर हो)

सत्यापन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री जिनके वैयक्तिक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, सच्चरित्र एवं प्रतिष्ठित हैं और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के प्रावधानों को पढ़ लेने के बाद मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये प्रावधान आवेदक के मामले में लागू नहीं होते हैं और मैं उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश करता हूँ । आवेदक अपने पते पर पिछले एक वर्ष से निरन्तर रह रहा/रही है ।

जन्म तिथि
जन्म स्थान
शैक्षणिक योग्यता
व्यवसाय
स्थायी पता
.....
वर्तमान पता
.....
स्थान
कार्यालय पता तथा स्थान.....
दिनांक..... हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर
पूरा नाम
पदनाम
चैम्बर का नाम
टेलिफोन सं. (का.) (नि.).....
मोबाइल सं.

टिप्पणी :

1. आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, सत्यापन प्रमाण-पत्र पर भी लगा होना आवश्यक है और सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं रबड़ स्टैंप के साथ इस प्रकार साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षर एवं स्टैंप का आधा भाग फोटो पर हो और आधा भाग प्रमाण-पत्र पर हो ।
2. यदि आवेदक गत एक वर्ष के दौरान एक स्थान से अधिक स्थान पर रहा हो तो सभी पूर्ववर्ती पतों का संगत तिथियों के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए ।
3. गलत सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(2) के तहत अभियोग चलाया जा सकता है ।
4. **पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) (ग)**
 इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन पासपोर्ट प्राधिकारी किसी दूसरे देश की यात्रा करने के लिए खण्ड (ग) उप-धारा 5 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक आधार पर, न कि किसी अन्य आधार पर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से मना करेगा, नामतः
 (क) आवेदक भारत का नागरिक न हो ।
 (ख) आवेदक, भारत के बाहर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो या होने की संभावना हो जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल हों ।

IndiaCode

(ग) आवेदक का भारत से बाहर प्रस्थान करना भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो अथवा होने की संभावना हो ।

(घ) आवेदक का भारत से बाहर उपस्थिति से किसी दूसरे देश के साथ भारत के मैत्री संबंध प्रतिकूल हो सकते हों अथवा होने की संभावना हो ।

(ड.) आवेदन की तिथि के तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारत के किसी न्यायालय द्वारा आवेदक को दोषसिद्ध किया गया हो और उस संबंध में उसे कम से कम दो वर्ष की सजा सुनायी गई हो ।

(च) आवेदक द्वारा तथाकथित किए गए किसी अपराध के संबंध में आपराधिक कार्यवाही भारत के किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हो ।

(छ) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा आवेदक की उपस्थिति के लिए वारंट अथवा समन, अथवा गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया हो, अथवा ऐसे किसी न्यायालय द्वारा आवेदक के लिए भारत से बाहर प्रस्थान न करने का आदेश जारी किया गया हो ।

(ज) आवेदक को प्रत्यावर्तित किया गया हो और उसने ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति न की हो ।

IndiaCode

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत अपराधों के लिए दण्ड

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(1) (ख) के अंतर्गत सूचना छिपाने के लिए लगाए जाने वाले दण्ड का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	छिपाई गयी सूचना का स्वरूप	शिक्षित आवेदकों के लिए राशि (रू.)	अशिक्षित आवेदकों के लिए राशि (रू.) में
(i)	यदि आवेदक का नाम माता-पिता के पासपोर्ट पर पृष्ठांकित किया गया है और आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम है और अलग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय इस बात का उल्लेख नहीं करता है कि उसका नाम उसके माता-पिता के नाम में पृष्ठांकित है ।	500/-	शून्य
(ii)	यदि आवेदक का नाम माता-पिता के पासपोर्ट पर पृष्ठांकित किया गया है और आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक है और अलग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय इस बात का उल्लेख नहीं करता है कि उसका नाम उसके माता-पिता के पासपोर्ट में पृष्ठांकित है ।	1000/-	500/-
(iii)	उपर्युक्त दोनों मामलों में यदि माता-पिता के पासपोर्ट की वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है ।	कोई जुर्माना नहीं	कोई जुर्माना नहीं
(iv)	यदि आवेदक ने पूर्व में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया हो और पासपोर्ट जारी किये बिना ही फाइल बंद कर दी गयी हो अथवा बिना सुपुर्दगी वापस हो गया हो और वैयक्तिक विवरण में कोई परिवर्तन न हुआ हो और आवेदक पूर्व में किये गये आवेदन का उल्लेख नहीं करता है ।	1000/-	500/-
(v)	यदि पिछले पासपोर्ट की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है और सूचना नहीं दी गयी है ।	2000/-	500/-
(vi)	यदि आवेदक के पास राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट है और वह साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय इसका उल्लेख नहीं	500/-	500/-

IndiaCode

	करता है ।		
(vii)	यदि अपने स्थायी पते से दूर किसी हॉस्टल में रहने वाला विद्यार्थी अपने स्थायी पते वाले क्षेत्र के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र में साक्ष्य के साथ अपने वर्तमान पते का उल्लेख नहीं करता है ।	500/-	500/- (नाबालिग के संबंध में जहाँ माता-पता अशिक्षित हैं ।)
(viii)	यदि आवेदक इस बात का उल्लेख नहीं करता है कि उसने पूर्व में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और यह दावा करता है कि उसे पासपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ और हालांकि पासपोर्ट ' बिना सुपुर्दगी के वापस ' का कोई रिकार्ड नहीं है तो आवेदक से एफ आई आर के साथ डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए कहा जा सकता है ।	2500/- + 2500/- (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)	1000/- + 2500/- (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)
(ix)	(क) यदि पासपोर्ट में ई सी एन आर/पी सी सी के मुहर अथवा किसी अन्य छाप की धोखाधड़ी की जाती है तो आवेदक का साक्षात्कार लिया जा सकता है और यदि ऐसा किसी एजेंट ने किया है तो उसका नाम और पता लिखित में लिया जाना चाहिए । धोखाधड़ी से किये गये पृष्ठांकन को रद्द करके पासपोर्ट आवेदक को सौंप दिया जाना चाहिए । (ख) यदि आवेदक को दूसरी पुस्तिका की आवश्यकता है तो डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क अथवा 2500रू. लिया जाना चाहिए ।	5000/- 5000/- + 2500/- (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)	5000/ 1000/- + 2500/- (डुप्लिकेट पासपोर्ट शुल्क)
(x)	यदि धोखाधड़ी वाले पासपोर्ट की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है तो 1000 रू. के साधारण शुल्क के साथ नया पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए ।	2500/- + 1000/- (साधारण पासपोर्ट शुल्क)	1000/- + 1000/- (साधारण पासपोर्ट शुल्क)
(xi)	कोई सरकारी सेवक, जो साधारण पासपोर्ट के अपने आवेदन में अपने नियोजन का पूरा ब्यौरा नहीं देता है ।	2500/-	2500/-
(xii)	यदि आवेदक सही-सही वैवाहिक स्थिति का उल्लेख नहीं करता है और उसकी वैवाहिक स्थिति के संबंध में कोई मामला पंजीकृत है ।	2500/-	2500/-

IndiaCode

(xiii)	यदि आवेदक अपनी जन्म तिथि/जन्म-स्थान (छोटे-मोटे परिवर्तन) के संबंध में गलत सूचना देता है ।	1000/-	500/-
(xiv)	भूलवश वैवाहिक स्थिति/पति/पत्नी का नाम इत्यादि से संबंधित सूचना को छिपाया जाना।	500/-	500/-
(xv)	यदि किसी आवेदक के पास वैध पासपोर्ट है अथवा वैयक्तिक विवरणों को छिपाता है / बदल देता है, अथवा उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है और आवेदन में इसकी जानकारी नहीं दी गयी है ।	5000/-	2500/-

टिप्पणी (i) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12, के तहत कोई व्यक्ति, किसी वैध पासपोर्ट के बिना यात्रा कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जान बूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करता है या पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज में की गई प्रविष्टियों को बदलने का प्रयास करता है, अपना पासपोर्ट निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जान बूझकर किसी अन्य व्यक्ति के पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का उपयोग करता है या जान बूझकर किसी व्यक्ति को जारी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज का उपयोग करने की अनुमति देता है, तो 2 वर्षों की अवधि की कैद अथवा 5000/- रू. का जुर्माना अथवा दोनों के द्वारा दंडनीय होगा ।

(ii) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं होते हुए पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है या अपनी राष्ट्रीयता से संबंधित सूचना को छिपाते हुए पासपोर्ट प्राप्त करता है या किसी जाली भारतीय पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज को धारण करता है, तो 5 वर्ष की कैद और 50,000/- रू. तक के जुर्माने के लिए दंडनीय होगा ।

.....

[फा. सं. VI/401/1/5/2006]

आर. आर. दास, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

टिप्पणी :– प्रधान नियम, दिनांक 11 दिसंबर के सा.का.नि. 691 (स्था.) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए :

(i) जीएसआर 50(ई), दिनांक 7.2.1981;
(ii) जीएसआर 494(ई), दिनांक 10.6.1981;
(iii) जीएसआर 469(ई), दिनांक 24.6.1982;
(iv) जीएसआर 325(ई), दिनांक 12.4.1983;
(v) जीएसआर 482(ई), दिनांक 13.6.1983;
(vi) जीएसआर 494(ई), दिनांक 16.6.1983;
(vii) जीएसआर 345(ई), दिनांक 29.3.1985;
(viii) जीएसआर 860(ई), दिनांक 8.11.1985;
(ix) जीएसआर 857(ई), दिनांक 13.10.1987;

(x)	जीएसआर 84(इ), दिनांक 11.2.1988;
(xi)	जीएसआर 1155(इ), दिनांक 21.11.1988;
(xii)	जीएसआर 622(इ), दिनांक 27.6.1990;
(xiii)	जीएसआर 653(इ), दिनांक 20.7.1990;
(xiv)	जीएसआर 100(इ), दिनांक 4.3.1991;
(xv)	जीएसआर 275(इ), दिनांक 20.3.1991;
(xvi)	जीएसआर 586(इ), दिनांक 21.6.1991;
(xvii)	जीएसआर 111(इ), दिनांक 22.1.1992;
(xviii)	जीएसआर 684(इ), दिनांक 15.6.1992;
(xix)	जीएसआर 721(इ), दिनांक 7.8.1992;
(xx)	जीएसआर 477(इ), दिनांक 16.6.1993;
(xxi)	जीएसआर 485(इ), दिनांक 1.7.1993;
(xxii)	जीएसआर 503(इ), दिनांक 10.7.1993;
(xxiii)	जीएसआर 833(इ), दिनांक 2.12.1994;
(xxiv)	जीएसआर 592(इ), दिनांक 7.8.1995;
(xxv)	जीएसआर 491(इ), दिनांक 28.8.1997;
(xxvi)	जीएसआर 605(इ), दिनांक 5.10.1998;
(xxvii)	जीएसआर 516(इ), दिनांक 8.7.1999;
(xxviii)	जीएसआर 827(इ), दिनांक 29.12.1999;
(xxix)	जीएसआर 34(इ), दिनांक 12.01.2000;
(xxx)	जीएसआर 472(इ), दिनांक 22.05.2000;
(xxxi)	जीएसआर 473(इ), दिनांक 22.05.2000;
(xxxii)	जीएसआर 485(इ), दिनांक 23.05.2000;
(xxxiii)	जीएसआर 529(इ), दिनांक 8.06.2000;
(xxxiv)	जीएसआर 584(इ), दिनांक 04.07.2000;
(xxxv)	जीएसआर 632(इ), दिनांक 25.07.2000;
(xxxvi)	जीएसआर 482(इ), दिनांक 28.6.2001;
(xxxvii)	जीएसआर 527(इ), दिनांक 13.07.2001;
(xxxviii)	जीएसआर 576(इ), दिनांक 2.8.2001;
(xxxix)	जीएसआर 817(इ), दिनांक 2.11.2001;
(xl)	जीएसआर 879(इ), दिनांक 5.12.2001;
(xli)	जीएसआर 235(इ), दिनांक 28.3.2002;
(xlii)	जीएसआर 429(इ), दिनांक 23.05.2003;
(xliii)	जीएसआर 399(इ), दिनांक 16.06.2005;

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2006

G.S.R. 768(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24, read with Section 5 of the Passports Act, 1967(15 of 1967), the Central Government hereby makes the following Rules to further amend the Passports Rules, 1980, namely:

1. (I) These Rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III to the Passports Rules, 1980, -

*(a) **PART-I FORM EA(P)-1 FOR INDIA** stands amended and with respect to the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-*

Price Rs. 10/-

Government of India
Ministry of External Affairs
Passport Application Form (No.1)
(For New / Re-issue/ Replacement of Lost/Damaged Passport)
(Please tick the required category)

Paste your unsigned recent colour photograph. Size: 3.5 X 3.5 cm

Signature OR Thump Impression ⟹

Please read the Passport Information Booklet carefully before filling the form, in CAPITAL LETTERS in blue/ black ball point pen only:
(CAUTION: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information would attract penal provisions as prescribed under the Passports Act, 1967). Please produce your original documents at the time of submission of the form.

For official use only

File Number **Police Verification required** **(Yes/No)** **ECR / ECNR**

.....
Signature of Checking Official

Fee Amount Rs.	Cash /D.D	Bank Code	D.D No.	Date of Issue of D.D

1. Name of applicant as it should appear in the Passport (Initials not allowed)

Surname
Given Name
(with documentary proof)

2. In case of change of name/surname (after marriage or otherwise with documentary proof), please indicate the previous name/surname in full

3. Sex
Male ☐ Female ☐ Others ☐

4. Date of Birth: DD☐☐ MM☐☐ YYYY ☐☐☐☐
(with documentary proof)
In words._____

5. Place of Birth: Village./ Town, District, State, Country (with Documentary Proof)

6. Father/Legal Guardian's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed)

7. Mother's Full Name (including surname, if any): (Initials not allowed)

8. If married, Full Name of wife/husband (including surname, if any). (Initials not allowed).

8 (i) If divorced/widow/widower, Please indicate the category with documentary proof.

9. Current Residential Address (where staying presently), Residing since
(In case of students, please see Section III of Passport Information Booklet)

P I N

Telephone No.

Mobile No.

9 (a) If you have been resident at your current address for less than one year, please furnish other addresses of your residence during the last one year.

From.....To.....

From.....To.....

10. Permanent Address with PIN code (if the permanent address is same as the present address write "Same" only)

P I N

IndiaCode

11. Details of latest held/existing Ordinary / Diplomatic / Official passport(s):

(i) Passport Office File No:/ Passport(s) No.....
(ii) Date and Place of Issue:/ Date of Expiry
(iii) In case passport was applied for and not issued, please give File No. & Date
(iv) Has your passport(s) ever been lost / damaged (if so attach FIR and give details).....
.....

11. (a) If you have returned to India on Emergency Certificate (EC) or were ever deported or repatriated, please furnish details:

EC No., date and place of issue & attach seizure memo in original

Place & Country from where deported / repatriated and reason thereof:.....
.....
.....

12. Other Details:
a) Educational Qualifications.....
b) Visible Distinguishing Mark, if any.....
c) Heightcms.

13. Are you working in Central Government/ State Govt/ PSU/ Statutory Bodies (Y)es/ (N)o ☐
If 'Yes' attach Identity Certificate (As per Annexure "B" of Passport Information booklet).

14. Are you a citizen of India by: (B)irth/(D)escent/(R)egistration/(N)aturalisation;
If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship

15. "Emigration Check Not Required" status? Yes/No
(Please note that all 10 and above qualified applicants are eligible for ECNR status.)
If yes, mention the eligible category (see Section III of Passport Information Booklet) and enclose copy of relevant certificate/document _____

16. In case of minors (applicant below the age of 18), if **EITHER** of the parents hold a Valid Indian Passport or has applied for it give the following details. Please see and fill up attached Annexure-H.

	Passport/ File No.	Date & Place of Issue/ Application
Mother	_____	_____
Father	_____	_____

17. (a) Have you at any time during the period of Five years immediately preceding the date of this application been convicted by a court in India for any criminal offence & sentenced to imprisonment for two years or more? If so, give name of the court, case number and relevant sections of Law. (Attach copy of judgement)
.....

(b) Are any criminal proceedings pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number and relevant sections of Law.
.....

(c) If answer at (b) is (Y)es, please furnish No Objection Certificate from competent court for grant of Passport.
.....
.....

(d) Have you been ever refused/denied passport? If yes, give details:
.....
.....

(e) Has your passport ever been impounded / revoked? If yes, give details:

.....

.....

(f) Have you ever applied/granted political asylum by any foreign country? If yes, give details.

.....

.....

18. Particulars of person to be intimated in the event of death or accident:

Name

Address

.....

Mobile / Tel. No. / email ID

19. Self Declaration:

I owe allegiance to the sovereignty, unity & integrity of India, and have not voluntarily acquired citizenship or travel documents of any other country. I have not lost, surrendered or been deprived of citizenship of India. The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for its accuracy. I am aware that it is an offence under the Passports Act, 1967 to furnish any false information or to suppress any material information with a view to obtaining a passport or any other travel document.

I further declare that I have no other passport/ travel document.

(Signature/Thumb Impression of Applicant)
(Left Hand Thumb Impression if male and Right Hand Thumb Impression if female)

Date

Place

IndiaCode

20. Enclosures:

1 Proof of date of birth 2 Proof of Residence

3 Educational Qualifications 4

5 6

(For Official Use Only)

Checked by Name **Signature/date**

Granted by Name **Signature/date**

Scanned by Name **Signature/date**

Dispatched by Name **Signature/date**

Paste your cross signed recent colour photograph. Size: 3.5 X 3.5 cm

PERSONAL PARTICULARS FORM
(In Duplicate)

1. Full name (Initials not allowed)

.....

2. Sex: Male / Female / Others

3. (a) Has the applicant ever changed name?

 (b) If yes, previous name:

4. Date of Birth:..... 5. Place of Birth

6. Profession

7. a) Father
 (Surname) (Name)

 b) Mother
 (Surname) (Name)

 c) Husband / wife
 (Surname) (Name)

8 a) Permanent Address & Tel. No. along with Police Station

.....
.....
.....

8(b) Present Residential Address & Tel. No, along with Police Station and residing since

.....
.....
.....

9. If you have not been resident at the address given at COLUMN 8(b) continuously for the last one year, please furnish other address(es) with duration(s) resided (Please furnish an additional set of P P Forms for each address with Police station.

From.....To.....

From.....To.....

10. **References:** Names and Addresses of two responsible persons in the applicant's locality who can vouch for the applicant.

(1) Name, Address & Tel. No.

.....
.....
.....

(2) Name, Address & Tel. No.

.....
.....
.....

11. Citizenship of India by: Birth ☐ Descent ☐ Registration ☐ Naturalization ☐

12. Furnish details of previous passport / travel document, if any:
(i) Passport/Travel document No: (ii) Date & Place of issue

For Police Use Only

Recommended Passport: **YES/NO**

Signature or Thumb Impression of the applicant
(Left Hand T.I. if male and Right Hand T.I. if female)

IndiaCode

PASSPORT INFORMATION BOOKLET

(APPLICANT MAY KEEP THIS BOOKLET FOR FUTURE HANDY REFERENCE)

CAUTION

A passport is issued under the Passports Act. 1967. It is an offence knowingly to furnish false information OR suppress information, which attracts penal and other action under relevant sections of the said Act. Passport is a valuable document. All holders are required to take due care that it does not get damaged, mutilated or lost. Passports should not be sent out to any country by post.

Loss of passport should be immediately reported to the nearest Police Station and to the nearest Passport Office/Indian Mission. Passport holder shall be responsible for misuse of passport, due to non-intimation of loss to the concerned Passport Office/Indian Mission. Passport is a Goverament property and should be surreadered when demanded in writing by any Passport Issuing Authority.

I. ISSUE OF FRESH PASSPORT BOOKLET

SECTION I - GENERAL INFORMATION

1. **HOW TO APPLY**

An application for a passport may be submitted personally OR through a representative carrying an **authority letter** (specimen given below). All original documents should be shown and self attested copies attached.

To

The Passport Officer
Passport Office…

Sir,

I hereby authorize Sh./Smt./Kum……..son/wife/daughter of … resident of … whose signature is attested below to submit application on my behalf and to collect my old passport and other original documents on my behalf.

Yours faithfully,

(Signature with name of the applicant)

Signature of authorized representative
Attested
Signature of the applicant

NB: It is essential for the representative to have some identity document bearing his/her photograph. Copy of identity document to be attached with authority letter.

2. **FEE AND MODE OF PAYMENT:** The following all-inclusive fee is to be paid along with the application form, either by Bank Draft in favour of the Passport Officer concerned or in cash. In case of DD, full name of applicant and application number to be written on the reverse of the draft. Details of payment of fee may be mentioned in the relevant boxes. If the fee is paid by Demand Draft, then the Bank Code of Issuing Bank, the Demand Draft Number and date of issue of the Demand Draft should be mentioned.

1.	Fresh Passport (36 pages) of 10 years validity (including minors between 15 to 18 years of age, who wish to get a 10 years full validity passport)	Rs 1,000/-
2.	Fresh Passport (60 pages) of 10 years validity	Rs. 1,500/-
3.	Fresh Passport for Minors (below 18 years of Age) of 5 years validity or till the minor attains the age of 18 which ever is earlier.	Rs 600/-
4.	Duplicate Passport (36 pages) in lieu of lost, damaged or stolen passport	Rs. 2500/-
5.	Duplicate Passport (60 pages) in lieu of lost, damaged or stolen passport	Rs. 3000/-

In case of re-issue, the fee leviable will be the same, depending on the age of the applicant.

3. **DELIVERY OF PASSPORTS:**

Passport may be delivered only to the applicant or dispatched by speed post to the address given in the application form.

SECTION II - INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

The Passport Application Form is Machine Readable. It will be scanned on computer. Therefore, the following instructions may be followed strictly:

• **Use capital letters only. Particulars given in the form will be printed in the passport. Therefore, please be careful in filling up the form and avoid any mistakes.**	• **Write clearly within the box without touching the boundaries.**
• **Use black/blue ball pen only.**	• **Adjust the information to fit within the number of given boxes.**
• **Do not fill the form with pencils or ink-pen.** • **While filling up the boxes, kindly leave one box blank after each completed word.**	• **Do not write anything outside the box. Avoid over-writing.** • **Incomplete application will not be accepted.**

Important Note: All original documents are to be shown at the time of submission of the passport application form. With the Original Passport Application Form, self-attested copies of all required documents need to be attached. Illiterate applicants should put only thumb impression in the box meant for thumb impression/signature. In case an applicant has stayed at more than one address during the last one year, he/she should furnish two additional photocopies of the PP form for each additional place of stay.

SECTION III - COLUMN-WISE GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

At the beginning of the Application Form there are boxes for affixing photograph, appending signature and thumb impression and giving details of payment of the fee.

PHOTGRAPHS: Recent passport size photographs (Three) in **colour** showing frontal view of full face are required. One photograh is to be pasted on form and two on the PP forms, which is to be filled in duplicate. **Black and white photograph, photograph with coloured or dark glasses or in uniform, Polaroid prints or computer prints will not be accepted.** In the box meant for affixing the photograph, please paste your recent and identical colour photograph of size 3.5 cm x 3.5 cm.. Photograph should fit exactly in the box and in any case not smaller than the box provided in the form. For Jumbo booklets, two additional photographs are required.

Signature/thumb impression should be strictly within the box without touching the boundaries. Thumb impression should be of left hand in case of males and right hand in case of females.

COLUMN 1 – NAME (WITH DOCUMENTARY PROOF)

The name up to 75 character long name can be given and filled in the form. The full name as it should appear in the Passport should be furnished here. For example,

Name: KARUR VAIKUNTA SUBRAMANIYAN RAMANATHAN PILLAI -

Write the Surname as "PILLAI" in the boxes provided for Surname and put a comma and write "VAIKUNTA SUBRAMANIYAN RAMANATHAN" as the Given name in the rest of the columns. In case you do not have a surname, just write the given name. *No initials should be written and they should be expanded.*

COLUMN 2 – If you have ever changed your name, please indicate the previous name in full. This will be applicable to a person who has even marginally changed the name or a lady who has changed her name / surname subsequent to the marriage. If there is no change in name at all, kindly write : Not applicable.

COLUMN 3 –In case of Male/Female option, please write M or F as applicable in the box space provided. For others, please write 'X' in this box.

COLUMN 4 – DATE OF BIRTH: The date of birth is filled as dd/mm/yyyy and in words as shown in the birth certificate issued by Municipal/Government Authorities. Proof of date of birth is to be attached. Please see Section IV concerning documents to be attached.

COLUMN 5 – PLACE & COUNTRY OF BIRTH: In case born in India, please mention name of place like Village / Town, District, State and if born outside India, mention name of place and country. If born before partition of India, at a place, which now falls within Pakistan or Bangladesh, please fill up the name of place followed by Country as "Undivided India".

COLUMNS 6, 7 AND 8: The name of Father, Mother and Spouse is to be entered in the respective columns. Surnames, if any, in these columns should be mentioned after the given names. In case the applicant is unmarried, column 8 asking for information on name of spouse may be filled as NOT APPLICABLE.

COLUMNS 9 AND 10: Please give relevant details along with date since residing at the given address, telephone No. with area code is required for the purpose of contacting in case additional information or document is required by Passport Office. Mobile phone No. would be useful for sending SMS message to the applicant for the same purpose. If the period of residence given in Column 9 is less than one year on the date of application, please furnish the other addresses with duration of residence. Students staying away from their parents have the option of applying from place of study. In such cases, for proof of address a bonafide certificate from the Principal/Director/Registrar/Dean of the educational institution is must.

COLUMN 11: Please give details of previous passport(s) held. Either the Previous Passport Number or the file number may be mentioned here along with date of issue and place of issue in the relevant boxes. In case previously applied for passport but the same was not received/issued, then the details such as file number, date applied and place where applied should be furnished here. Suppression of facts may attract penal provisions as per the section 12 of the Passports Act, 1967.

COLUMN 11(a): If ever travelled on Emergency Certificate (EC) or ever deported or repatriated to India at Government cost, then the details of EC number, date and place of issue along with original seizure memorandum, place and country from where deported or repatriated should be furnished in this column. Even if the EC details are not available readily, at least the place and country from where deported or repatriated should invariably be given here. All such applicants should furnish details of circumstances of their repatriation/loss of passport in a form of notarized affidavit.

COLUMN 12: Details like educational qualifications, visible distinguishing mark and the height in centimeters are to be provided against the respective item.

COLUMN 13: The relevant entry as 'Yes' or 'No' should be marked in the box space provided. If working in Central / State Government, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, a "Identity Certificate" from the concerned office should be attached as per 'Annexure B'.

COLUMN 14: Regarding citizenship, whether it is by birth, descent, registration or naturalization is to be recorded in the box space provided by either B/D/R/N as the case may be. If held any other citizenship before Indian citizenship, then please furnish the previous citizenship in the blank space provided.

COLUMN 15: Please write Y or N as applicable. It may be mentioned here that Indian citizens categorized as ECR before leaving the country are required to get a clearance from the Protector General of Emigrants. Applicants in ECR category will have the ECR Stamp put on their passports. In case the passport booklet does not have ECR stamp, the applicant would be deemed to have been granted ECNR status. No ECNR stamp will be affixed on the passport. An applicant would be eligible for ECNR status if he/she falls in any one of the following categories and provides documentary proof thereof:

PERSONS ON WHOSE PASSPORTS ECR STAMPS WOULD NOT BE AFFIXED:

(I) (a) **All holders of Diplomatic/official Passports.**

(b) **All GAZETTED Government servants.**

(c) **All Income-Tax payers (including Agricultural Income-Tax Payees) in their individual capacity. Proof of assessment of income tax and actual payment of income tax for last one year or copy of PAN card to be insisted upon, and not merely payment of advance tax. However, in most cases as an assessment order is not issued separately by the income tax department, income tax returns which are stamped by income tax authorities can be accepted.**

(d) **All professional Degree holders, such as Doctors holding MBBS degree or equivalent degree in AYURVED or HOMEOPATHY, accredited Journalists, Engineers, Chartered Accountants, Cost Accountants, Lecturers, Teachers, Scientists, Advocates, etc.**

(e) **Spouses and dependent children of category of persons listed from (b) to (d).**

(f) **All persons having educational qualifications of matriculation and above.**

(g) Seamen who are in possession of CDC or Sea Cadets, Deck Cadets;
(i) who have passed final examination of three years B.Sc. Nautical Sciences Courses at T.S. CHANAKYA, MUMBAI; and
(ii) who have undergone three months Pre-Sea training at any of the Government approved Training Institutes such as T.S.CHANAKYA, T.S. REHMAN, T.S. JAWAHAR, MTI (SCI) and NIPM, CHENNAI, after production of identity cards issued by the Shipping Master, MUMBAI/KOLKATA/CHENNAI.

(h) Persons holding Permanent Immigration Visa, such as the visas of UK, USA and Australia.

(i) Persons possessing two years diploma from any institute recognized by the National Council for Vocational Training (NCVT) or State Council of Vocational Training (SCVT) or persons holding three years' diploma/equivalent degree from institutions like Polytechnics recogaized by Central/State Goverament.

(j) Nurses possessing qualifications recognized under the Indian Nursing Council Act. 1947.

(k) All persons above the age of 50 years.

(l) All persons who have been staying abroad for more than three years (the period of three years could be either in one stretch or broken) and their spouses.

(m) All children upto the age of 18 years of age. (At the time of re-issue at the age of 18 years, ECR stamping shall be done, if applicable)..

(II) No emigration clearance is required for visiting Bangladesh, Pakistan and all countries in Europe (excluding CIS states), North America, Australia, Japan, New Zealand, South Korea, South Africa and Singapore.

The eligible category should be mentioned in the blank space provided under this column and supportive documents should be attached with the application. It may be mentioned that passport holders with 'ECR' endorsement travelling to countries other than mentioned above for any non-employment purposes are required to have the 'ECR' endorsement suspended each time from the offices of the Protector of Emigrants (POE) or designated Passport Offices, before they undertake the travel. For employment purposes, such passport holders require emigration clearance from the offices of POEs. Otherwise, they will be stopped from travelling at the port of exit. Applicants are, therefore, advised to apply for ECNR, if they are eligible, to ensure hassle-free travel abroad. **It may be noted that the passport booklet will only have ECR category stamped and in case the passport booklet does not have ECR stamp, the applicant would be deemed to have been granted ECNR status.**

COLUMN 16: In this column, while applying for the first time for the minor children who are less than 18 years of age, the details of valid passports held by **BOTH OR EITHER** parents should be furnished in the relevant column. In such cases, passport to their minor child will be issued without any police verification. Further, in the cases where the parents do not hold valid passports, applications for such minors can be made on the basis of three documents of parents details of which are given in para C(B) of Section IV of the Passport Information Booklet along with Standard affidavit Annexure I. In all such cases, passport to their minor child will be issued on post-police verification basis. A declaration on plain paper as given at annexure H is needed to be filled up in each case. In case the minor child who is between 15 and 18 years of age wishes to obtain a full validity passport for 10 years, the same can be issued only on submission of Standard Affidavit as in Annexure "I" and any three of the 14 document as mentioned in para C (B) of Section IV of Passport Information Booklet by the parents and on payment of fee equivalent to the normal passport fee i.e. Rs. 1000/- for a 36 pages passport, as applicable for an adult. Otherwise the validity of the passport is restricted to five years or attaining the age of 18, whichever is earlier. In case of single parent and children born out of wedlock or in case of parents who are judicially separated, a sworn affidavit before a Magistrate, stating the facts of the case along with documentary proof to be submitted as per Annexure "C". In the NORMAL COURSE the signature/consent of both parents is required for issue of a passport to the minor (Annexure "H"). However, if in case the applicant parent is not in a position to get the consent of the other parent, FOR WHATEVER REASON, the parent applying for the passport of the minor may sign the form and submit a sworn affidavit as per Annexure "G" stating the facts and circumstances of the case along with the application. The affidavit should also state that in case of a court case he/she would be responsible and not the passport office. In such cases, where only one parent is applying, the physical appearance of the child may be requested to ensure the applicant parent has the actual custody of the child.

COLUMN 17: The applicant should give correct information. Suppression of any fact may lead to fine up to Rs.5000 per offence and other penal provisions as applicable under the provisions of the Passports Act, 1967 as amended from time to time.

COLUMN 18: In this column, the name and address along with Mobile or Telephone number/e-mail of person to be intimated in the event of death or accident is to be furnished.

COLUMN 19: This column is a self declaration made by the applicant about owing allegiance to the sovereignty, unity and integrity of India, not voluntarily acquiring the citizenship or travel document from any other country etc. Also this column contains declaration in furnishing true information in the application form and aware that it is an offence under the Passport Act 1967 for any wrong information or suppression of any material information in getting the passport. The applicant also declares that he has no other passport or travel document. Under the space provided, the signature or Thumb Impression (left hand thumb impression for male and right hand thumb impression for female) should be furnished along with date and place of application.

COLUMN 20: Photocopies of all documents that are attached as enclosures along with the application form should be listed in the blank spaces provided and each document self attested by the applicant.

SECTION IV - DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION

(In case the applicant is submitting the application himself/herself, self attested copies of all documents are required to be attached with the application form. Original documents should, however, also be produced for verification and are returned. In case the application is not being submitted by the applicant himself, he can authorize any member of his family to do so with an authority letter. In case of applications sent by post, the copies of original documents are to be attested by a GAZETTED Officer or Notary public.

(A) PASSPORTS

(I) While applying for a fresh passport attach two copies of the following documents:

(a) Proof of address (attach one of the following):

Applicant's ration card, certificate from Employer of reputed companies on letter head, water /telephone /electricity bill/statement of running bank account/Income Tax Assessment Order /Election Commission ID card, Spouse's passport copy, parent's passport copy in case of minors **(NOTE: If any applicant submits only ration card as proof of address, it should be accompanied by one more proof of address out of the above categories).**

(b) **Proof of Date of Birth (attach one of the following):**
Birth certificate issued by a Municipal Authority or district office of the Registrar of Births & Deaths;
Date of birth certificate from the school last attended by the applicant or any other recognized educational institution; or an Affidavit sworn before a Magistrate/Notary stating date/place of birth as per the specimen in ANNEXURE 'A' by illiterate or semi-illiterate applicants.
N.B.: In the case of applicants born on or after 26.01.89, only Birth Certificate issued by the Municipal Authority or the Office of the Registrar of Births & Deaths is acceptable.

(c) Citizenship document if applicant is a citizen of India by Registration or Naturalization.

(d) Government/Public Sector/Statutory body employees should submit "Identity Certificate" in original (ANNEXURE B) alongwith Standard Affidavit Annexure I.

(e) If the applicant is eligible for "ECNR" attach attested copy of supporting document (*see COLUMN 15 of the INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM).*

(f) If the applicant was repatriated at Government cost, enclose documents to show that the expenditure, if any, incurred by the Government of India on his/her repatriation has been fully refunded to the Government of India, Ministry of External Affairs.

(g) If the applicant was ever deported to India, give details of Emergency Certificate/Passport.

(2) **When applying for reissue of a passport after 10 years, attach:**

(a) Old passport in original with self-attested photocopy of its first four and last four pages, including ECR/ECNR page.

(b) Document mentioned at (1) (d), if applicable.

(c) Document mentioned at (1) (e), if the old passport did not have ECNR stamp or it was issued when the applicant was a minor.

(d) If there is any change in address, document mentioned at 1 (a).

(e) If the old passport does not contain spouse name, copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or affidavitas per specimen in Annexure 'D'.

(3) **When applying for a minor's passport attach:**

(a) A Declaration from the parents /single parent/applicant parent/legal guardians, as the case may be, affirming the particulars furnished in the application about the minor child as per 'Annexure-H (for all minor applicants), Annexure "C" (Single parents who are separated but not formally divorced/Single parent of the child born out of wedlock), Annexure "G" (when passport is being applied for by single parent or legal guardian), Annexure "I" (when a minor between 15-18 years of age applies for a full validity 10 year passport OR in case either parents who do not hold valid Indian passport while applying passport for their minor child), as the case may be. Single Parents applying for the passport for their child should fill up Annexure "C" and or Annexure "G", as the case may be.

(b) **Attested photocopy of passport, if any, of both parents, if applicable.**

(c) **Original passports of parents should be presented for verification of particulars.**

(d) If one parent is resident abroad, a Sworn affidavit by the parent resident abroad attested by the Indian Mission along with affidavit from parent residing in India as well be submitted.

N.B.: Ordinarily the consent of both parents is required for issue of a passport to a minor (below 18 years of age). However if it is absolutely not possible due to any reason, the parent applying for a passport for his/her minor child may submit an affidavit (Annexure G) and based on the same passport application will be processed. In case where the parent(s) is/are resident outside India, such consent from the parent(s), in the form of a sworn affidavit, duly attested by the Indian Mission abroad, is acceptable. In the cases where the minor children who are less than 18 years of age, the details of valid passports held by **BOTH OR EITHER** parents should be furnished. In such cases, passport to their minor child will be issued without any police verification basis. Further, in the cases where the parents do not hold valid passports, applications for such minors can be made on the basis of three documents of parents details of which are given in para C(B) of Section IV of the Passport Information Booklet along with Standard Affidavit Annexure I. In all such cases, passport to their minor child will be issued on post-police verification basis. Children of all age must apply for separate passports. However, those below 15 years will be given 5 years validity passport or passport till 18 years of age. In case the minor child who is between 15 and 18 years of age wishes to obtain a full validity passport for 10 years, the same can be issued only on post-police verification basis on submission of Standard Affidavit as in Annexure "I" and three of the 14 document as mentioned in para C(B) of Section IV of Passport Information Booklet by the parents and on payment of fee equivalent to the normal passport fee i.e. Rs 1000/- for a 36 pages passport, as applicable for an adult. In the case of single parents or of parents who are separated but not formally divorced, an affidavit at 'Annexure C is to be submitted.

For Adopted Children:

In case of Adopted Children the following documents are to be furnished:

i) Valid adoption deed registered as per Indian laws

ii) In the case of Christians, Muslims and Parsis, a court order granting guardianship and allowing the child to be taken out of the Country.

iii) Copy of the guarantee executed before the Court concerned.

B) **CHANGE OF NAME**

II. Following marriage, remarriage or divorce:

(a) A woman applying for change of name/surname in existing passport due to marriage must furnish:

(i) Photocopy of the Husband's passport, if any, and

(ii) An attested copy of marriage certificate issued by Registrar of Marriage **OR** an affidavit from the husband and wife along with a joint photograph, (Specimen at Annexure D).

(b) Divorcees applying for change of name **OR** for deletion of spouse's name in existing passport must furnish

(i) Certified copy of Divorce decree.

(ii) Deed poll/sworn affidavit (ANNEXURE 'E')

(c) Re-married applicants applying for change of name/spouse's name must furnish:

(i) Divorce deed/death certificate as the case may be in respect of first spouse, and

(ii) Document as at (a) above relating to second marriage.

II. In other circumstances for change of name, the applicant (both male and female) should furnish:

(i) Deed poll/sworn affidavit (ANNEXURE 'E'):

(ii) Paper cuttings of two leading daily newspapers (one daily newspaper should be of the area of applicant's permanent and present address or nearby area).

(C) OUT OF TURN ISSUE OF PASSPORT UNDER TATKAAL SCHEME

(A) If an applicant desires to obtain his passport under the Tatkal Scheme, a verification certificate as per the specimen at ANNEXURE 'F' and standard affidavit as Annexure "I" should be submitted along with the TATKAAL fee. The Passport Issuing Authority shall retain the right to verify in writing the authenticity of the Verification Certificate from the official who has issued it. All applicants seeking a passport out of turn under the TATKAAL Scheme are advised to submit their application, documentation and fee as specified under. **No proof of urgency is required for Out-of-Turn issue of passport**. Post Police Verification shall be done in all cases of issue of passport under Tatkal Scheme.

(B) The applicant also has the option to obtain a passport under Tatkal Scheme on submission of three documents from the Fourteen documents as mentioned below, provided one of the three documents is a photo identity document and atleast one of the three is amongst the documents indicated at (a) to (i) and standard affidavit duly attested by a Notary as at Annexure "I". All applicants seeking a passport out of turn under the TATKAAL Scheme are advised to submit their application, documentation and fee as specified below.

Proof of Identity and Nationality (please attach three documents from the following Fourteen documents, provided one of three documents is a photo identity document and at least one of the three is amongst the documents indicated at (a) to (i) below and along with standard affidavit as given in Annexure "I" on non-judicial stamp paper to be attested by public notary):

(a) Electors Photo Identity Card (EPIC); (b) Service Identity Card issued by State/Central Government, Public Sector Undertakings, local bodies or Public Limited Companies; (c) SC/ST/OBC Certificates; (d) Freedom Fighter Identity Cards; (e) Arms Licenses; (f) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds etc.; (g) Rations Cards; (h) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order; (i) Railway Identity Cards; (j) Income Tax Identity (PAN) Cards; (k) Bank/Kisan/Post Office Passbooks; (l) Student Identity Cards issued by Recognized Educational Institutions; (m) Driving Licenses; and (n) Birth Certificates issued under the RBD Act.

(All above documents to be produced in original along with self-attested copies)

The TATKAAL fee is in addition to the applicable passport fee and payable either in cash or DD in favor of Passport Officer concerned. The additional fee for out of turn TATKAAL passport, would be as follows:

Fresh Passport

1.	Within 1-7 days of the date of Application	Rupees. 1,500/- plus the passport fee as applicable
2.	Within 8-14 days of the date of Application	Rupees. 1,000/- plus the passport fee as applicable

Duplicate Passport

1.	Within 1-7 days of the date of Application	Rupees. 2,500/- plus the duplicate passport fee as applicable
2.	Within 8-14 days of the date of Application	Rupees. 1,500/- plus the passport fee as applicable

Re-issue cases after expiry of 10 years validity

1.	Within 3 working days of the date of application	Rupees. 1,500/- plus the passport fee as applicable

(D) For issue of passports to owner, partners and directors of Companies which are members of CII, FICCI & ASSOCHAM. The applicants have to submit Verification Certificate as at Annexure "J" along with Standard Affidavit at Annexure "I".

(E) In case an applicant is in possession of a Verification Certificate (VC) and or three (3) documents as mentioned in para C(B) (a) of Section IV, but does not wish to pay the additional fees as required under Tatkal. In such a case, the applicants will be issued passport on post-police verification basis in the normal course.

(F) CASES OF LOST/DAMAGED PASSPORTS: The applicant has to fill the passport application form and submit the same along with following deeds:

i) FIR in original
ii) First and last four pages of old passport.
iii) If there is any change in address, proof of address.

SECTION V – SPECIMEN OF AFFIDAVITS/DECLARATIONS

ANNEXURE 'A'

SPECIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED BY ILLITERATE APPLICANTS AS PROOF OF DATE OF BIRTH IN CASE NO OTHER OOCUMENT MENTIONED AT PARA A(b) OF SECTION IV IS AVAILABLE

(To be executed on non-judicial stamp paper)

IS/o W/o D/o presently residing at hereby state as follows:
I was born on at situated in the District. in the State of I have no documentary proof in support of my place and date of birth.
I do not possess any educational qualification and I am an illiterate person.
I take oath and solemnly declare/affirm that the particulars furnished by me above are correct and that I have not concealed or misrepresented any facts.
Place
Date
Verified on this day of of the year that the contents of my above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing in material has been concealed therefrom.
The contents of the affidavit has been read out to me

Deponent
Attested
Signature and official seal of attesting authority

Note: Affidavit to be attested by the Magistrate/Notary
In case of notary, notarial stamp would be required

ANNEXURE 'B'

ALL CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES STATE GOVERNMENT EMPLOYEES, EMPLOYEES OF STATUTORY BODIES AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS ARE REQUIRED TO PRODUCE A IDENTITY CERTIFICATE (STRIKE OUT PORTION NOT APPLICABLE)

(To be given in Duplicate on Original Stationery)

Certified that SHRI/SHRIMATI/KUM Son/Wife of Shri of is a temporary/permanent employee of this (office address) from (date) and is at present holding the post of Shri/Smt./Miss/Mst.is/are a dependent family member(s) of Shri/Smt..... and his/her identity is certified. This Ministry/Department/Organization has no objection to his/her acquiring Indian Passport. The undersigned is duly authorized to sign this Identity Certificate. I have read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967 and certify that these are not attracted in case of this applicant. I recommend issue of an Indian Passport to him/her. It is certified that this organization is a central / State Government / Public Sector / undertaking / statutory body. The Identity Card Number of Shri/Smt (employee).....is.....

Ref. No. &
Date

Name, Designation, address & Tel No..

Applicant's photo to be attested by certifying authority

ANNEXURE 'C'

AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION FOR A PASSPORT OF A MINOR CHILD BY EITHER PARENT (WHO ARE SEPARATED BUT NOT FORMALLY DIVORCED) OR BY A SINGLE PARENT OF THE CHILD BORN OUT OF WEDLOCK

(To be executed on non-judicial stamp paper)

I, (name of single parent) solemnly declare and affirm as follows:

1. That I am the mother/father of (name of the child) who is a minor child and on whose behalf I have made an application for his/her passport.
2. That I am judicially separated from the mother/father of (name of minor).

OR

That no legally valid marriage ever existed between me and Mr./Ms. (the father/mother the minor child).

OR

The father/mother of (name of the child) has deserted me after conception/ delivery

3. That (name of the minor) is exclusively under my care and custody since separation/ delivery.

Signature & address of Deponent

Date:

(Sworn before the First Class Judicial Magistrate or Notary Public)

ANNEXURE 'D'

SPECIMEN AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION FOR PASSPORT BY A WOMAN APPLICANT FOR CHANGE OF NAME AFTER MARRIAGE (JOINT AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED ALONGWITH HER HUSBAND)

(To be executed on non-judicial stamp paper)

We 1.....
(maiden name of wife)
2.....
(name of husband)
solemnly declare and affirm as under:

1 That we are married underMarriage Act/Rights/Customs and are living together as married couple since
(date of marriage)

2. That would henceforth be known as
(maiden name of wife) (name of wife after marriage)

by virtue of our marriage.

3. That our joint photograph is affixed below.

Date:

Signature & address of Deponents

1.....

2.....

Note: 1. This affidavit may be sworn before a Magistrate/Notary.
2. The Joint photograph of the couple is to be pasted on the bottom left hand side of the affidavit paper and attested by the Magistrate/Notary with his/her signature and rubber stamps (half on the photograph and half on the affidavit)
3. Declaration 2 above to be ignored by applicants who seek endorsement of name of spouse in respect of reissue of a previously issued passport.

3979GI/06-7

ANNEXURE 'E'

SPECIMEN AFFIDAVIT FOR CHANGE IN NAME/DEED POLL/SWORN AFFIDAVIT

(On non-judicial stamp paper)

By this deed I, the undersigned.....(New Name) previously called (Old name), doing.....(give profession or vocation) and resident of(address) solemnly declare:-

1. That for and on behalf of myself and my wife and children and remitter issue wholly renounce/relinquish and abandon the use of my former name/surname ofand in place thereof I do hereby assume from this date the name/surname and so that I and my wife, children and remitter issue may hereafter be called, known and distinguished not by my former name/surname, but assumed name/surname of

2. That for the purpose of evidencing such my determination declare that I shall at all times hereafter in all records, deeds and writings and in all proceedings, dealings and transactions, private as well as upon all occasions whatsoever use and sign the name of as my name/surname in place and in substitution of my former name/surname.

3. That I expressly authorize and request all persons in general and relatives and friends in particular, at all times hereafter to designate and address me, my wife, my children, remitter issue by such assumed name/surname ofaccordingly.

4. In witness whereof I have hereunto subscribed my former and adopted name/surname of and affix my signature and seal, if any, this day of

Signed sealed and delivered by the above name
Former name.....

Date.....
In the presence of:

Name.....
Address.....

Name
Address

(This deed poll/affidavit may be signed and attested in presence of a Magistrate/Notary or Consular Officer in an Indian Mission abroad)

Note: In case of change of name, applicant should insert advertisements in two reputed newspapers (one local newspaper of the area in which he/she is residing and 2nd in newspaper of the area of permanent address) and submit original newspapers at time of applying for passport in his/her new name.

ANNEXURE 'F'

SPECIMEN VERIFICATION CERTIFICATE (FOR PASSPORT UNDER TATKAL ONLY)

(On official stationery of verifying authority)

(To be given in Duplicate* along with Standard Affidavit as at Annexure "I")

Reference Number

Applicant's Photo

(Verification Certificate issuing officer should attest the photograph of the applicant with his/her signature and rubber stamp in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate).

Verification Certificate

This is to certify that Sh./Smt./Kum. son of/wife of/daughter of whose personal particulars are given below has good moral character and reputation and that after having read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967. I certify that these provisions are not attracted in case of this applicant and I, recommend issue of an Indian Passport to him/her. Applicant has been staying at his/her address continuously for the last one year.

Date of Birth
Place of Birth
Educational Qualification
Profession (Govt./Private Service/Others)
Permanent Address
Present Address

Place
Office Address with location
Date

Office Seal

Signature

Full Name
Designation
t Card No.
(Enclose a photocopy of I Card)
Telephone No. (O).....(R).....
Mobile No.....

Notes:

1. The applicant's passport size photograph is also required to be affixed on the Verification Certificate and attested by the officer issuing the Verification Certificate with his/her signature and rubber stamp in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate.
2. If the applicant has resided at more than one place during the last one year then all previous addresses with the relevant dates should be mentioned.

IndianCode

3 This Verification Certificate may be got signed by any of the following:

(i) An Under Secretary/Deputy Secretary/Director/Joint Secretary/Add. Secretary/Special Secretary/Secretary/Cabinet Secretary to Government of India.

(ii) A Director/Joint Secretary/Additional Secretary/Special Secretary/Chief Secretary to a State Govt.

(iii) A Sub-Divisional Magistrate/First class Judicial Magistrate/Additional DM/District Magistrate of the district of residence of applicant.

(iv) A District Superintendent of Police, DIG/IG/DGP of district of residence of applicant.

(v) A Major and above in the army, Lit Commander and above in the Navy and Sq Leader and above in the Air Force.

(vi) The General Manager of a Public Sector Undertaking

(vii) All members of any All India Service or Central Service who are equivalent to or above the rank of an Under Secretary to the Government i.e. in the pay scale of Rupees 10,000-15,200 or above

(viii) Resident Commissioners/Additional Resident Commissioners of all State Governments based in Delhi.

(ix) Concemed Tehsildars or Concemed SHO's for an applicant staying in the area under his/her jurisdiction.

(x) The Chairmen of the Apex Business Organizations i.e.FICCI, CII and ASSOCHAM in respect of owners, partners or directors of the companies that are members of the concerned Chamber in prescribed performa as at Annexure "J".

4 Anyone who issues incorrect verification certificate may be prosecuted under section 12(2) of the Passport Act, 1967.

5. **SECTION 6(2) (C) OF THE PASSPORT ACT, 1967**

"Subject to the other provisions of this Act, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country under clause (C) sub-section 5 of anyone or more of the following grounds, and on no other ground, namely:

(a) that the applicant is not a citizen of India.

(b) that the applicant may, or is likely to engage outside India in activities prejudicial to the snvereignty and integrity of India.

(c) that the departure of the applicant from India may, or is likely to be detrimental to the security of India.

(d) that the presence of the applicant outside India may, or is likely to prejudice the friendly relations of India with any foreign country.

(e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application been convicted by a court of India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof imprisonment for not less than two years.

(f) that criminal proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a court in India.

(g) that a warrant or summons for the appearance, of a warrant for the arrest, of the applicant has been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has been made by any such court.

(h) That the applicant has been repatriated and has not reimbursed the expenditure incurred in connection with such repatriation.

ANNEXURE 'G'

DECLARATION OF APPLICANT PARENT OR GUARDIAN IF PASSPORT IS FOR MINOR (one parent not given consent) : IN THE FORM OF A SWORN AFFIDAVIT BEFORE JUDICIAL MEGISTRATE ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER

I/Wesolemnly declare and affinns as follows:
(Name of the Parent/Guardian applying for passport)

1 That I/We am/are the mother/father/parents/guardians ofwho is a minor child and on whose behalf
(Name of the Minor Child)
I/We have made an application for his/her passport.

2. Signature/Consent of Mr/Mrs.....who is father/mother/parents of the child has not
(Name of the father/Mother)
been obtained by me for the following reasons:

3. That I/We only am/are taking care ofhe/she is exclusively in my physical custody
(Name of the minor child)

4. I/We also affirm that in the case of a court case arising due to issue of a passport to the minor child.....
(Name of the minor child)
I/We would be solely responsible for defending the case and not the Passport Issuing Authority.

Date :

Signature & Address of the parent (s)/ guardian(s) applying for the Passport

IndiaCode

ANNEXURE 'H'

DECLARATION OF APPLICANT PARENT OR GUARDIAN IF PASSPORT IS FOR MINOR: ON PLAIN PAPER

I/We affirm that the particulars given above are in respect of (name of the child) son/daughter of Shri. and Shrimati of whom I/we am/are the Parents/Single Parents/Applicant Parent/Guardians. He/She is a Citizen of India. His/Her date of birth/place of Birth is ---------. I/We undertake the entire responsibility for his/her expenses. I/We solemnly declare that he/she has not lost, surrendered or been deprived of his/her citizenship of India and that the information given in respect of him/her in this application is true. It is also certified that I/we am/are holding/not holding valid Indian passport(s) and the name of the child mentioned is not included in Passport of either parent.

_____ / _____ OR _____

Father (Signature) Mother (Signature) Legal Guardian (Signature)

ANNEXURE 'I'

AFFIDAVIT

(To be executed on appropriate non-judicial stamp paper and attested by a Notary Public)

(One original and one self-attested photocopy)

I, name), _____ Son of _____ residing at _____ Date of Birth _____ being an applicant for issue of passport, do hereby solemnly affirm and state as follows:

IndiaCode

1. That the names of my parents and spouse are as follows:

 (i) Father :
 (ii) Mother :
 (iii) Wife/Husband :

2. That I am continuously resident at the above mentioned address from.....
3. That I am citizen of India by birth/descent/registration/naturalization and that I have neither acquired the citizenship of another country nor have surrendered or been terminated/deprived of my citizenship of India.
4. That I have not, at any time during the period of five years immediately preceding the date of this affidavit, been convicted by any court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years;
5. That no proceedings in respect of any criminal offence alleged to have been committed by me are pending before any criminal court in India;
6. That no warrant or summons for my appearance, and no warrant for my arrest, has been issued by a court under any law for the time being in force, and that my departure from India has not been prohibited by order of any such court;
7. That I have never been repatriated from abroad back to India at the expense of Government of India/I was repatriated from abroad back to India at the expense of Government of India, but reimbursed expenditure incurred in connection with such repatriation.
8. That I will not engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.
9. That my departure from India will not be detrimental to the security of India.
10. That my presence outside India will not prejudice the friendly relations of India with any foreign country.

Place :
Date :

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on.....(date) at (place) that the contents of the above mentioned affidavit are true and correct and nothing material has been concealed.

DEPONENT

ANNEXURE 'J'

SPECIMEN VERIFICATION CERTIFICATE

(To be given {in Duplicate* along with Standard Affidavit as at Annexure "I} by Chairmen of Apex Business Organisations to the Owners, Partners Or Directors of the Companies having Membership of the Concerned Chambers)

(Official stationery of verifying authority)

Reference Number

Applicant's Photo

(Verification Certificate issuing officer should attest the photograph of the applicant with his/her signature and rubber stamp in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate).

Verification Certificate

This is to certify that Sh./Smt./Kum. son/wife/daughter of whose personal particulars are given below has good moral character and reputation and that after having read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967. I certify that these provisions are not attracted in case of this applicant and I, recommend issue of an Indian Passport to him/her. Applicant has been staying at his/her address continuously for the last one year

Date of Birth
Place of Birth
Educational Qualification
Profession
Permanent Address
Present Address

Place
Office Address with location
Date:

Office Seal

Signature

Full Name
Designation
Name of the Chamber
Telephone No. (O).....(R).....
Mobile No.....

Notes:

1. The applicant's passport size photograph is also required to be affixed on the Verification Certificate and attested by the officer issuing the Verification Certificate with his/her signature and rubber stamp in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate.
2. If the applicant has resided at more than one place during the last one year then all previous addresses with the relevant dates should be mentioned.
3. Anyone who issues incorrect verification certificate may be prosecuted under section 12(2) of the Passport Act, 1967.
4. **SECTION 6(2) (C) OF THE PASSPORT ACT, 1967**

"Subject to the other provisions of this Act, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country under clause (C) sub-section 5 of anyone or more of the following grounds, and on no other ground, namely:

(a) that the applicant is not a citizen of India.
(b) that the applicant may, or is likely to engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.
(c) that the departure of the applicant from India may, or is likely to be detrimental to the security of India.
(d) that the presence of the applicant outside India may, or is likely to prejudice the friendly relations of India with any foreign country.
(e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application been convicted by a court of India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof imprisonment for not less than two years.
(f) that criminal proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a court in India.
(g) that a warrant or summons for the appearance, of a warrant for the arrest, of the applicant has been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has been made by any such court.
(h) That the applicant has been repatriated and has not reimbursed the expenditure incurred in connection with such repatriation.

PENALITY FOR OFFENCES UNDER PASSPORT ACT, 1967

Imposition of penalties for suppression of information under Section 12(1) (B) of Passport Act, 1967 is as given below:

S. No.	Nature of suppression of information	Amount (in Rs.) for Literate applicants	Amount (in Rs.) for Illiterate applicants
(i)	In case the applicant's name has been endorsed on the parents' passport and the applicant is less than 18 years old and while applying for a separate passport, does not mention the fact that the name is endorsed in the parents' passport.	500/-	Nil
(ii)	In case the applicant's name has been endorsed on the parents' passport and the applicant is more than 18 years old and while applying for a separate passport, does not mention the fact that his name is endorsed in the parents' passport.	1000/-	500/-
(iii)	In both the above cases, if the parents' passport has already expired	No fine	No fine
(iv)	If the applicant had previously applied for a passport and the file was closed without issue of a passport or returned undelivered and provided there is no change in the personal particulars and the applicant does not mention about the application made earlier.	1000/-	500/-
(v)	If the previous passport has expired and the information is not given.	2000/-	500/-
(vi)	When an applicant holds / held a diplomatic / official passport and does not mention in his application at the time of applying for an ordinary passport.	500/-	500/-
(vii)	If a student studying in a hostel away from his permanent address, does not mention his present address with proof in his passport application form while applying at RPO/PO in which jurisdiction his permanent address falls.	500/-	500/- (in case of minor, where applicant's parent is illiterate)
(viii)	In case where an applicant does not disclose that he had applied for a passport earlier claiming that he never received the passport and there is, however, no record of passport "Returned Undetivered", then the appticant may be asked to apply for duplicate passport with FIR.	2500/- + 2500/- (Duplicate passport fee)	1000/- + 2500 (Duplicate passport fee)
(ix)	(a) In case, there is forgery of the stamp of ECNR/PCC or any other observation in the passport, then applicant may be interviewed and in case some agent has done this then his name and address should be taken in writing. The forged endorsement should be cancelled and passport restored to the applicant. (b) If another booklet is required by the applicant, duplicate passport fee or Rs. 2500/- should be charged.	5000/- 5000/- + 2500/- (Duplicate passport fee)	1000/- 1000/- + 2500/- (Duplicate passport fee)
(x)	In case the passport with forgery has expired, then fresh passport may be issued with normal fee of Rs. 1000/- plus.	2500/- + 1000/- (normal passport fee)	1000/- + 1000 (normal passport fee)
(xi)	A Government servant who does not give details of his employment in his application form for ordinary passport.	2500/-	2500/-
(xii)	In case applicant does not disclose correct marital status and a case is registered regarding marital dispute	2500/-	2500/-
(xiii)	If applicant gives wrong information regarding his date of birth / place of birth (minor changes)	1000/-	500/-
(xiv)	Minor suppressions of information regarding marital status / name of spouse etc. inadvertently.	500/-	500/-
(xv)	When an applicant holds a valid passport or suppresses / changes the personal particulars or where a criminal case is pending against him and this information is not disclosed in the application.	5000/-	2500/-

IndiaCode

Note: (i) Under Section 12 of the Passport Act, 1967 - whoever contravenes the provisions of the Act by traveling without a valid passport, knowingly furnishes wrong information or attempts to alter entries made on the passports or travel documents, fails to produce his/her passport for inspection, knowing uses a passport or travel document used to another person or knowingly allows another person to use a passport or travel document issued to him shall be punishable with imprisonment for a term up to 2 years or with fine up to Rs. 5,000/- or with both

(ii) Whoever not being a citizen of India makes an application for a passport or obtains a passport by suppression of information about his nationality or holds a forged Indian passport or travel document shall be punishable by imprisonment up to 5 years and with fine up to Rs. 50,000/-.

[F. No. VI/401/1/5/2006]

R. R. DASH, Jt. Secy. (CPV)

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended vide :-

(i) GSR 50(E), dated 7.2.1981;
(ii) GSR 494(E) dated 10.6.1981
(iii) GSR 469(E), dated 24.6.1982;
(iv) GSR 325(E), dated 12.4.1983;
(v) GSR 482(E), dated 13.6.1983;
(vi) GSR 494(E), dated 16.6.1983;
(vii) GSR 345(E), dated 29.3.1985;
(viii) GSR 860(E), dated 8.11.1985;
(ix) GSR 857(E), dated 13.10.1987;
(x) GSR 84 (E), dated 11.2.1988;
(xi) GSR 1155(E), dated 21.11.1988;
(xii) GSR 622(E), dated 27.6.1990;
(xiii) GSR 653(E) dated 20.7.1990
(xiv) GSR 100(E), dated 4.3.1991;
(xv) GSR 275(E), dated 20.3.1991;
(xvi) GSR 586(E), dated 21.6.1991;
(xvii) GSR 111(E), dated 22.1.1992;
(xviii) GSR 684(E), dated 15.6.1992;
(xix) GSR 721(E), dated 7.8.1992;
(xx) GSR 477(E), dated 16.6.1993;
(xxi) GSR 485(E), dated 1.7.1993;
(xxii) GSR 503(E), dated 10.7.1993;
(xxiii) GSR 833(E), dated 2.12.1994;
(xxiv) GSR 592(E) dated 7.8.1995:
(xxv) GSR 491(E) dated 28.8.1997:
(xxvi) GSR 605(E), dated 5.10.1998;
(xxvii) GSR 516(E), dated 8.7.1999;
(xxviii) GSR 827(E), dated 29.12.1999;
(xxix) GSR 34(E), dated 12.01.2000;
(xxx) GSR 472(E), dated 22.05.2000;
(xxxi) GSR 473(E), dated 22.05.2000;
(xxxii) GSR 485(E), dated 23.05.2000;
(xxxiii) GSR 529(E), dated 8.6.2000;
(xxxiv) GSR 584(E), dated 04.07.2000;
(xxxv) GSR 632(E), dated 25.7.2000;
(xxxvi) GSR 482(E), dated 28.6.2001;
(xxxvii) GSR 527(E), dated 13.7.2001:
(xxxviii) GSR 576(E) dated 2.8.2001
(xxxix) GSR 817(E) dated 2.11.2001
(xl) GSR 879(E) dated 5.12.2001
(xli) GSR235(E) dated 28.3.2002
(xlii) GSR 429 (E) dated 23.05.2003
(xliii) GSR 399(E) dated 16.06.2005

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.